वर्ष– 2015–16

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1) ख के अनुसार 17 मैनुअल्स का संग्रह

उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद
सहस्त्रधारा रोड,निकट राजपुर बाईपास,
पोस्ट ऑफिस कुल्हान जनपद देहरादून
दूरभाष सं0–0135–2608910

उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद की सूचना के अधिकार सम्बन्धी हस्त पुस्तिका(मैनुअल) की सूची

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राज्य का गठन 09 नवम्बर 2000 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेष के पर्वतीय भ–ूभाग के जनपदों के साथ हरिद्वार को शामिल करते हुये 13 जनपदों के भू भाग के साथ उत्तराखण्ड राज्य बनाया गया। उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों का अधिकाष क्षेत्र वनाच्छादित है। राज्य की आर्थिक उन्नति के खनिज एवं वन सम्पदा, ऊर्जा, कृषि एवं पशुपालन मुख्य आधार है। राज्य की आर्थिक उन्नति में पशुपालन विभाग का 8.59 प्रतिषत योगदान है। अविभाजित उत्तर प्रदेष में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गयी थी। इससे पूर्व सिविल वेटरीनरी डिपार्टमेन्ट एवं कृषि विभाग द्वारा पशुपालन सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते थे। उस समय सिविल डिपार्टमेन्ट मुख्यतः अष्व प्रजनन एवं पशुरोग नियन्त्रण कार्य से सम्बन्धित था। कृषि विभाग द्वारा गोसेवा वंषीय सांड़ो की पूर्ति पशु प्रजनन हेतु की जाती थी। पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना होने पर पशु चिकित्सा, रोग नियन्त्रण, पशु प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रमों को विभाग द्वारा प्रारम्भ करते हुये पशुपालकों को आर्थिक रूप से विकसित किये जाने के प्रयास किये गये।

उत्तराखण्ड राज्य की 17 वी पशुगणना वर्ष 2003 के अनुसार विभन्न प्रजातियों

की पशुधन संख्या निम्नवत् है –

क0 सं0	**पशुओं का वर्ग**	**पशुगणना**
1.	क्रासब्रीड गोवंषीय	228000
2.	अवर्णित गोवंषीय	1961000
3.	कुल गोवंषीय	2189000
4.	महिषवंषीय	1228000
5.	कुल गोवंषीय तथा महिषवंषीय	3417000
6.	भेड़	296000

7.	बकरी	1158000
8.	सूकर	33000
9.	अन्य पशु	39000
10.	कुल पशुधन	4943000
11.	कुल कुक्कुट	1984000

उपरोक्त जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये एवं पषुपालकों को लाभ पहुॅचाने के उद्देष्य से पशुपालन विभाग की विभिन्न प्रकार की योजनायें विभिन्न विभागीय संस्थाओं के माध्यम से चलाई जा रही हैं। जिनमें अधिकांष संस्थाओं के मुखिया पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में न्यूनतम स्नातक उपाधि प्राप्त किये हुये पशुचिकित्साविद् होते हैं। वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, भारतवर्ष में लागू किया गया। जिसके अनुसार भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों में स्थापित पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन अथवा इसमें उच्च षिक्षा देने वाले कॉलेजों, विष्वविद्यालयों एवं अन्य राजकीय/निजी संस्थाओं में कार्यरत पशुचिकित्साविदों एवं उत्तीर्ण होने वाले पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। राज्य में कार्यरत/सेवानिवृत पशुचिकित्साविदों द्वारा पशुचिकित्सा परिषद् में पंजीकरण पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेष के पशुचिकित्सा परिषद् में कराया गया, परन्तु राज्य का गठन होने के पश्चात् पशुचिकित्साविदों को राज्य में ही पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिये उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का गठन किया गया। उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का कार्यालय सहस्त्रधारा रोड, निकट राजपुर बाईपास,पोस्ट ऑफिस कुल्हान, जनपद देहरादून के राजकीय भवन में स्थित है।

मैनुअल–1

संशोधित संस्करण 2015–16

संगठन की विषिष्टियॉ कृत्य और कर्तव्य

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 में निहित प्राविधानों के अनुसार वर्ष 2002 में उत्तराखण्ड राज्य में शासनादेष संख्या 450/प0म0ड0 पशुपालन/2002 दिनांक 18 जुलाई 2002 के अनुसार उत्तराखण्ड, पषुचिकित्सा ट्रिब्युनल की स्थापना की गई जिसके द्वारा गठित ट्रिब्युनल को राज्य में पशुचिकित्सा परिषद् के गठन एवं कार्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

शासनादेष संख्या 465/xv-1/पषुपालन/2(13)/2005 दिनांक 10 अगस्त, की अधिसूचना के द्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम,1984 को उत्तराखण्ड राज्य में मूल रूप में अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप एवं उत्तर प्रदेष पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तर प्रदेष राज्य पशुचिकित्सा परिषद् नियमावली, 1990 को उत्तराखण्ड राज्य में अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष, 2002 के द्वारा अधिसूचित करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में पशुचिकित्साविदों के पंजीकरण का कार्य दिनांक 16 अगस्त, 2005 से प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। जिसके अनुसार राज्य में राजकीय, निजी, अर्धषासकीय सेवाओं में सेवारत/सेवानिवृत्त पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में कराये जाने को अनिवार्य किया गया है।

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम् 1984 की धारा 32 के अनुसार राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का विधिवत् गठन निम्नलिखित सदस्यों के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है–

1– चार पशुचिकित्साविदों का चुनाव सदस्य के रूप में राज्य में पंजीकृत पशुचिकित्साविदों के द्वारा किया जाना।

2– राज्य में स्थापित पशुचिकित्सा संस्थान का मुखिया पदेन सदस्य।

3– राज्य सरकार द्वारा किन्ही तीन पंजीकृत पशुचिकित्साविदों के सदस्य के रूप में नामित किया जाना।

4– पशुपालन विभाग के विभागाध्यक्ष–पदेन सदस्य।

5– उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा सेवा संघ का कोई नामित सदस्य–पदेन सदस्य

6– रजिस्ट्रार पशुचिकित्सा परिषद् – पदेन सदस्य/सचिव।

इन्हीं 11 सदस्यों के द्वारा राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव किये जाने का प्राविधान भी है।

उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के मुख्य उदेष्य/कार्य निम्नवत् हैंः–

1– उत्तराखण्ड राज्य में सेवारत/सेवानिवृत्त पशुचिकित्साविदों के पंजीकरण का कार्य करना।

2– भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 में निहित प्रविधानों के अनुसार पशुचिकित्सा सम्बन्धी कार्यो को राज्य में क्रियान्वित कराना।

3– पशुचिकित्साविदों एवं वैज्ञानिकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुये राज्य के पशुधन में नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ उनकी समस्याओं का निराकरण करना।

4– पशुचिकित्साविदों को प्रषिक्षण के माध्यम से उनकी तकनीकी दक्षता एवं कार्यक्षमता का विकास करना।

5– भारतवर्ष में स्थापित पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक उपाधि देने वाले संस्थानों की स्वीकृत सीटों के अन्तर्गत भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् हेतु आरक्षित 15 प्रतिषत सीटों को भरे जाने हेतु

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रवेष परीक्षा को सम्पादित कराये जाने में आवष्यक सहयोग प्रदान करना।

इन उद्ष्यों को ध्यान में रखते हुये राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पशुपालन विभाग/परिषद् के माध्यम से कराते हुये वर्ष 2015–16 में 64 स्थाई पंजीकरण तथा वर्तमान समय तक कुल 664 पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है इसके अतिरिक्त पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय पन्तनगर, जनपद उधमसिंहनगर में स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इर्न्टनषिप पूर्ण करने के लिये वर्ष 2015–16 में 55 तथा वर्तमान समय तक कुल 600 अध्यनरत पशुचिकित्साविदों का अस्थाई पंजीकरण का कार्य भी किया गया है।

मैनुअल–2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

उत्तराखण्ड, राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु शासनादेष संख्या– 151/XV-1/1 (24) / 2005 दिनांक 3 मार्च के द्वारा उत्तराखण्ड, राज्य पषुचिकित्सा परिषद् हेतु निम्नवत् पद स्वीकृत किये गये।

उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् देहरादून के कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु शासनादेष संख्या 401/XV-1/11/1(24)/31 मार्च, 2010 के द्वारा राज्य पषुचिकित्सा परिषद् हेतु पदों की निरन्तरता की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् देहरादून के कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु शासनादेष संख्या 332/XV-1/12/1(24)/05 दिनांक 04 अप्रैल, 2012 के द्वारा राज्य पषुचिकित्सा परिषद् हेतु पदों की निरन्तरता की स्वीकृति प्रदान की गयी।

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद संख्या
1.	रजिस्ट्रार,	15600–39100	7600	एक
2.	पषुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1	15600–39100	6600	एक
3.	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800	4600	एक
4.	वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	एक
5.	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	एक
6.	चतुर्थ श्रेणी	5200–20200	1800	एक

उपरोक्त स्वीकृत पदो से सम्बन्धित कार्य निम्नवत् हैंः–

रजिस्ट्रार – उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के कार्यालयाध्यक्ष हैं।

1– उत्तराखण्ड राज्य में सेवारत/सेवानिवृत्त पशुचिकित्साविदों के पंजीकरण का कार्य करना।

2– उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में सदस्य/सचिव के रूप में कार्य करना।

3– उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के समस्त वित्तीय/ प्रषासनिक दायित्वों का निर्वहन करना।

4– उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् की विभिन्न बैठकों के आयोजन तथा उसमें लिये गये निर्णयों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करना।

5– भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम् 1984 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्य करना।

6–भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित प्रवेष परीक्षा जो कि पाठयक्रम बी0 वी0 एस0सी0एण्ड ए0एच0 हेतु होती है उसकी प्रवेष परीक्षा का सम्पादन राज्य में भली भॉति सम्पादित करवाने में सहयोग प्रदान करना ।

7– उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के गठन हेतु निर्वाचन कार्य पूर्ण करवाना।

8– अध्यक्ष, राज्य पशुचिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये निर्देषानुसार कार्यवाही करना।

पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1 – उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के कार्यो में रजिस्ट्रार को वांछित सहयोग प्रदान करना तथा रजिस्ट्रार, द्वारा दिये गये निर्देषानुसार आवष्यक कार्यवाही करने के साथ ही साथ कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के पटलों से सम्बन्धित कार्यो में वांछित सहयोग प्रदान करना।

वैयक्तिक अधिकारी – सम्बन्धित समस्त दायित्वों का निर्वहन करना, तथा समय–समय पर रजिस्ट्रार द्वारा दिये गये निर्देषानुसार कार्य करना । परिषद मे पशुचिकित्साविदो के पंजीकरण सम्बन्धी समस्त कार्य।

वरिष्ठ सहायक – उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् हेतु राज्य सरकार/भारत सरकार से बजट मांग, इसका उपयोग, लेखा, स्थापना सम्बन्धी समस्त कार्यो के सम्पादन के साथ–साथ कार्यालय में

कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि पास बुकों/खातों, लेखा सम्बन्धी बिलों एवं भुगतान सम्बन्धी प्रपत्र का रख रखाव करना। समय–समय पर रजिस्ट्रार द्वारा दिये गये निर्देषानुसार कार्य करना।

कनिष्ठ सहायक – स्टोर/डिस्पैच से सम्बन्धित पटलों के कार्यो का सम्पादन करना। समय–समय पर रजिस्ट्रार द्वारा दिये गये निर्देषानुसार कार्य करना।

चतुर्थ श्रेणी – चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सम्बन्धित समस्त कार्यो के साथ ही साथ रजिस्ट्रार द्वारा दिये गये निर्देषानुसार कार्य करना।

मैनुवल–3

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेष, निर्देषिका और अभिलेख की

सूचना

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् के अधिनियम 1984 में निहित प्राविधानों के अनुसार पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण किया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में वित्तीय हस्त पुरितका खण्ड–2 भाग के दो से चार खण्ड–तीन, खण्ड–पांच, एम0जी0ओ0 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेषों के अनुसार स्थापना, बजट, कैष आदि से सम्बन्धित कार्य किये जाते हैं।

मैनुवल–4

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्ष या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

चूंकि राज्य में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 को मूलरूप में अंगीकृत किया गया है जिसके नियम संख्या 32 के अनुसार यह प्राविधानित है कि राज्य में पषुचिकित्सा परिषद् का गठन करने हेतु पंजीकृत पशुचिकित्साविदों के माध्यम से निर्वाचन हेतु नामांकन करने वाले 04 पशुचिकित्साविदों का चयन निर्वाचन के माध्यम से, उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में राज्य सरकार द्वारा 03 पंजीकृत पशुचिकित्साविदों को नामित करने, पशुपालन विभाग के विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय पन्तनगर, उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष एवं रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के द्वारा कुल 10 सदस्यों से उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का गठन किया जाना है। जबकि रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् सदस्य/सचिव के रूप में कार्य करेगें। इन्ही 11 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का चयन किये जाने का प्राविधान भी है।

इस प्रकार अध्यक्ष/सदस्य सेवानिवृत्त पशुचिकित्साविद भी हो सकता है जो यथासमय सुझाव राज्य सरकार/विभाग को दे सकता है।

भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् के अधिनियम–1984 में निहित प्राविधानों के अनुसार परिषद् के सदस्यों एवं अध्यक्ष को विभिन्न प्रकार की सुविधायें जैसे यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वाहन, कर्मचारी आदि दी जानी प्राविधानित हैं।

मैनुवल–5

उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् देहरादून के दस्तावेजों का विवरण

उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद् कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध हैंः–

(1) भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984

(2) वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड–2 से भाग 4

(3) वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड–3 एवं खण्ड–5

(4) सामान्य भविष्य निधि नियमावली

इन दस्तावेज के अतिरिक्त परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों को आवंटित पटलों के अनुसार आवष्यक दस्तावेज निम्नवत् हैंः–

स्थापना पटल से सम्बन्धित पत्रावलियों का विवरणः–

1–डा0 ए0 एस0 धामी, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार की व्यक्तिगत पत्रावली।

2– डा0 ए0 के0 सच्चर, संयुक्त निदेषक, कार्या0 निदेषालय पषुपालन की व्यक्तिगत पत्रावली,

3– स्व0 श्री पी0 एस0 रावत, वैयक्तिक अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली , सेवा पुस्तिका ।

4– श्री सूर्य प्रकाष उनियाल, प्रधान सहायक, कार्या0 निदेषालय पषुपालन की व्यक्तिगत पत्रावली ।

5– श्री मुकेष उनियाल, वरिष्ठ सहायक की व्यक्तिगत पत्रावली, सेवापुस्तिका, अंषदायी पेंषन बुक ।

6– श्री हर्षलाल पत्रवाहक की व्यक्तिगत पत्रावली, सेवापुस्तिका ,जी0 पी0 एफ0 पास बुक।

7– श्री सत्यपाल, वाहन चालक, (सम्बद्व) की पत्रावली।

8– श्री दिनेष सिंह कठैत, पत्रवाहक, (सम्बद्व) की पत्रावली।

9– डा0 बी0 पी0 भट्ट,सेवानिवृत्त, रजिस्ट्रार, की व्यक्तिगत पत्रावली।

10. श्री मनजीत चतुर्थ श्रेणी(सम्बद्व), की व्यक्तिगत पत्रावली।

11. डा0 ए0 के0 गुप्ता, पशुचिकित्साधिकारी(ग्रेड–1, सम्बद्व) की व्यक्तिगत पत्रावली।

12– गार्ड फाइल स्थापना, लेखा

11– अधिकारियों/कर्मचारियों नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावली ।

12– सूचना का अधिकार से सम्बन्धित पत्रावली।

13– स्टेषनरी क्रय/टेलीफोन से सम्बन्धित पत्रावली वर्ष 2005–06, से 2008–09, 2009–10, 2010–11 2011–12, 2012–13 तक।

14– टेलीफोन/विद्युत/जलकर से सम्बन्धित पत्रावली।

15– डाटा इन्ट्री आपरेटर से सम्बन्धित पत्रावली वर्ष 2005–06।

16– प्रभार प्रमाण से सम्बन्धित पत्रावली।

17– कर्मचारियों/अधिकारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित पत्रावली।

18– श्रीमती आभा सच्चर पत्नी डा0 ए0 के0 सच्चर संयुक्त निदेषक, कार्या0 निदेषालय पषुपालन, के चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित पत्रावली।

19– समाचार पत्रों में विज्ञापित करायी गयी सूचनाओं से सम्बन्धित पत्रावली।

20– CVE Programmes से सम्बन्धित पत्रावली।

21– भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रवेष परीक्षा बी0वी0 एस0 सी0 एण्ड ए0 एच0 पाठयक्रम से सम्बन्धित पत्रावली।

22– डा0 ए0के0सच्चर पषुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित पत्रावली।

24– श्री राकेष लाल च0श्रे0 (सम्बद्व) कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली।

25–डा0डी0एस0रावत, पषुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1 की व्यक्तिगत पत्रवली।

27– डा0डी0एस0रावत पषुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित पत्रावली।

28– डा0संगीता रावत पत्नी डा0डी0एस0रावत पषुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित पत्रावली।

29–डा0 नीरज सिंघल, रजिस्ट्रार, उ0प0चि0परि0, देहरादून की वयक्तिगत पत्रावली, सेवा पुस्तिका, जी0पी0एफ0 पास बुक।

30. श्रीमती पूनम चौहान, कम्पयूटी आपरेटर(उपनल) की पत्रावली।

31. श्री नवीन नाथ, कम्प्यूटर आपरेटर(उपनल) की पत्रावली।

32. श्री मनजीत, चतुर्थ श्रेणी(एसेट इन्फोटेक लि0) की पत्रावली।

पॅजिकायेंः–

1–स्थापना पटल से सम्बन्धित पंजिकायें

1.1– वेतन वृद्वि पंजिका

1.2– उपस्थित पंजिकायें

1.3– आकस्मिक अवकाष पंजिका

2–लेखा पटल से सम्बन्धित पत्रावलियांः–

2.1– पत्राचार से सम्बन्धित पत्रावली

2.2– विद्युत बिल से सम्बन्धित पत्रावली

2.3– जलकर से सम्बन्धित पत्रावली

2.4– टेलीफोन बिल से सम्बन्धित पत्रावली

2.5– आयकर से सम्बन्धित पत्रावली

2.6– बजट से सम्बन्धित पत्रावली

2.7– वाहन से सम्बन्धित पत्रावली

2.8– उत्तराखण्ड पषुचिकित्सा परिषद् हेतु बजट से सम्बन्धित पत्रावली

2.9– कम्प्यूटर से सम्बन्धित पत्रावली

2.10– विज्ञप्ति के बिलों से सम्बन्धित पत्रावली

2.11– बाउचर से सम्बन्धित पत्रावली

2.12– पेरोल से सम्बन्धित पत्रावली

2.13– वेतन एरियर से सम्बन्धित पत्रावली

2.14– जी0 पी0 एफ0 से सम्बन्धित पत्रावली

2.15– चारा नर्सरी से सम्बनिधत पत्रावली

2.16– प्राप्ति रसीद से सम्बन्धित पत्रावली

2.17– यात्रा भत्ता से सम्बन्धित पत्रावली

2.18– पंजीकरण हेतु फीस हेतु प्राप्त चैक/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर से सम्बन्धित पत्रावली

2.19– वित्तीय भौतिक प्रगति से सम्बन्धित पत्रावली

2.20– आहरण वितरण से सम्बन्धित पत्रावली

2.21– राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित पत्रावली

2.22 वृहद् निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली

<u>3–लेखा पटल से सम्बन्धित पॅजिकायेंः–</u>

3.1– वेतन बिल पंजिका

3.2— कैश बुक पंजिका।

3.3— भुगतान पंजिका ।

3.4— पोस्टल आर्डर/बैक ड्राप्ट पंजिका

3.5— बिजली/पानी/टेलीफोन पंजिका

3.6— सामान्य बिल पंजिका

3.7— यात्रा भत्ता बिल पंजिका

3.8— कन्टिजेन्ट बिल पंजिका वर्ष 2007—08, 2008—09, 2009—10, 2010—11, 2011—12, 2012—13, 2013—14, 2014—15, 2015—16

3.9— चैक बुक पंजिका

3.10— जी0 पी0 एफ0 लेजर तृतीय श्रेणी

3.11— जी0 पी0 एफ0 लेजर चतुर्थ श्रेणी

3.12— टेलीफोन/फोटो स्टेट पंजिका

3.13— डिस्पैच पंजिका

3.14— पत्र प्राप्ति पंजिका

3.15— जी0 पी0 एफ0 स्थाई/अस्थाई स्वीकृतियों से सम्बन्धित पंजिका

3.16— बिल पंजिका

3.17— डाक टिकट विवरण पंजिका

3.18 स्व0 श्री पी0एस0 रावत, वैयक्तिक अधिकारी, की जी0पी0एफ0 से सम्बन्धित पत्रावली।

3.19 श्री डा0डी0एस0रावत पषुचिकित्साधिकारी ग्रेड—1 जी0पी0एफ0 से सम्बन्धित पत्रावली।

3.20 श्री सूर्य प्रकाष उनियाल वरिष्ठ सहायक की जी0पी0एफ0 से सम्बन्धित पत्रावली।

3.21 श्री मुकेश उनियाल कनिष्ठ सहायक की अंषदायी पेंषन लेजर पंजिका।

3.21 श्री हर्षलाल, पत्रवाहक, की जी0पी0एफ0 से सम्बन्धित पत्रावली।

3.23 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल की पंजिका ।

4– स्टोर से सम्बन्धित पंजिकायेंः–

4.1– डेड स्टॉक पंजिका

4.2– कन्ज्यूमेबिल स्टॉक पंजिका

4.3– स्टेषनरी से सम्बन्धित पंजिका/विज्ञप्तियों से सम्बन्धित पंजिका

5– पंजीकरण से सम्बन्धित पत्रावलियां

5.1 अस्थाई पंजीकरण पत्रावली

5.2 पंजीकरण पत्राचार सम्बन्धित पत्रावली

5.3 पंजीकरण स्थानान्तरण सम्बन्धित पत्रावली

5.4 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् स्थानान्तरित पंजीकरण सम्बन्धित पत्रों की पत्रावली

5.5 डा0 हेमेन्द्र शर्मा/डा0 धनराज नागर से सम्बन्धित पत्रावली

5.6 रजिस्ट्रार से सम्बन्धित पत्रावली

5.7 एम्बस्डर कार से सम्बन्धित पत्रावली

5.8 रजिस्ट्रार पशुचिकित्सा परिषद् में कर्मचारियों की तैनाती से सम्बन्धित पत्रावली

5.9 बैठक से सम्बन्धित पत्रावली

5.10 गार्ड फाइल

5.11 गजट नियमावली से सम्बन्धित पत्रावली

5.12 सचिव,भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् को उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत पशुचिकित्साविदों की सूची प्रेषण सम्बन्धित पत्रावली

5.13 लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को सूचना भेजने सम्बन्धित पत्रावली

5.14 राष्ट्रीय सेमिनार से सम्बन्धित पत्रावली

5.15 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् नई दिल्ली से सम्बन्धित पत्रों की पत्रावली

5.16 लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित पत्रावलियां

5.17 उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद् से सम्बन्धित पत्रावली

5.18 पंजीकरण प्रपत्र भेजने व प्रपत्र प्राप्त करने सम्बन्धित पत्रावली

5.19 उत्तराखण्ड पषुचिकित्सा परिषद् के गठन संबंधी पत्रावली

5.20 ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल 2013, भा0प0चि0परि0, नर्द दिल्ली से सम्बन्धित पत्रावली।

5.21 पशुचिकित्साविदों की पंजीकरण पत्रावली 01 से 775 तक(निरसतीकरण को शामिल करते हुए) ।

6–पंजीकरण से सम्बन्धित पंजिकायेः–

6.1 स्थाई पंजीकरण पंजिका –तीन

6.2 स्थाई पंजीकरण नवीनीकरण पंजिका–दो

6.3 स्थाई पंजीकरण चेक पंजिका–दों

6.4 अस्थाई पंजीकरण पंजिका–दो

मैनुवल–6

बोर्डो , परिषदों समितियों और अन्य निकायों का विवरण साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डो, परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी

चूंकि उत्तराखण्ड पषुचिकित्सा परिषद् संवैधानिक संगठन है जिसकी बैठक जनता के लिये खुली नहीं होती है ओर ना ही बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त को जनता तक भेजे जाने का प्राविधान है। कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के अनुसार सम्पादित की जानी वाली कार्यवाही से सम्बन्धित तथ्य राज्य सरकार पषुपालन विभाग एवं पंजीकृत पषुचिकित्साविदों को भेजी जा सकती है। जबकि पंजीकृत पशुचिकित्साविद् सेवानिवृत्त भी हो सकता है।

मैनुवल–7

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विषिष्टियां

लोक सूचना अधिकारी

नाम/ पदनाम	दूरभाष नं0	पता
डा0 एन0एस0नेगी पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1	9412120115 0135–2608910	कार्यालय–उत्तराखण्ड,पषुचिकित्सा परिषद् निकट राजपुर बाईपास सहस्त्रधारा रोड़ पे0 कुल्हान देहरादून।

अपीलीय अधिकारी

नाम/ पदनाम	दूरभाष नं0	पता
डा0 नीरज सिंघल, रजिस्ट्रार	0135–2608910 9837153140	कार्यालय–उत्तराखण्ड,पषुचिकित्सा परिषद् निकट राजपुर बाईपास सहस्त्रधारा रोड़ पे0 कुल्हान देहरादून।

मैनुवल–8

निर्णय करने की प्रक्रिया

(पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् 1984 में निहित प्राविधानों के अनुसार परिषद् के गठन, की कार्यवाही तथा इसमें आने वाली कठिनाईयों आदि का निराकरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। साथ ही परिषद् में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को देय लाभ/दण्ड आदि का निर्धारण वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड–2 के भाग दो से चार, तथा सामान्य भविष्य नियमावली आदि में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जाता है।

मैनुवल–9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देषिका

उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद् के कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु शासनादेष संख्या–151/xv-1/1(24)/2005 दिनांक 3 मार्च 2006 के द्वारा स्वीकृत तथा सम्बद्व/आऊटसोर्सिंग के अनुरूप वर्तमान मे निम्नवत् अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैः–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	दूरभाष नं0	पता
1.	डा0 नीरज सिंघल, रजिस्ट्रार	0135–2608 910	कार्यालय–उत्तराखण्ड,पषुचिकित्सा परिषद् निकट राजपुर बाईपास सहस्त्रधारा रोड़ पो0 कुल्हान देहरादून।
2.	डा0 एन0एस0नेगी, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1	9412120115	मियॉवाला, देहरादून।
3	डा0 ए0के0 गुप्ता, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1(सम्बद्व)		मोथरोवाला, देहरादून
4.	श्री मुकेश उनियाल, वरिष्ठ सहायक	8979270286	गुजराड़ा, पोस्ट–गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।
5	श्री हर्षलाल, पत्रवाहक	7579071113	ग्राम कोडसी, पो0 बडोगल, भोगपुर, देहरादून।
6	श्री मनजीत, चतुर्थ श्रेणी		ग्राम कृषाली, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
7	श्रीमती पूनम चौहान,क0 आपरेटर,उपनल		नथुवावाला, देहरादून
8	श्री नवीन नाथ, क0आपरेटर(उपनल)		बंजारावाला, देहरादून
9	श्री मनजीत, च0श्रे0(आउटसोर्स)		ग्राम कृषाली, देहरादून

मैनुवल–10

प्रत्येक अधिकारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रामिक और उसके निर्धारण की पद्वति

शासनादेष संख्या 395/XXVII (7)/2008 वित्त (वे0अ0) सा0नि0)अनुभाग–7 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेष संख्या 27/XXVII (7)(स्प0–7)2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में संषोधित वेतनमान के अनुसार

क्रम सं0	नाम/पदनाम	वेतनमान	मूल वेतन/मासिक भुगतान
1.	डा0 नीरज सिंघल, रजिस्ट्रार	15600–39100	40800–/115530–
2.	डा0 एन0एस0नेगी, पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1	15600–39100	33820–/95536
3.	श्री मुकेष, उनियाल, वरिष्ठ सहायक	5200–20200	11060–/28494–
4.	श्री हर्षलाल, पत्रवाहक	5200–20200	12350–/28776–

शासनादेष संख्या 373/XXXVii(7)27(2)/2013 दिनांक 16 जनवरी, 2013, तथा शासनादेष संख्या 406/XXXVii(7)27(2)/2011 दिनांक 08 फरवरी, 2103 मे निहित व्यवस्था अनुसार, रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड़ पशुचिकित्सा परिषद मे कार्यरत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों के **पदनाम, वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन** उनके नाम के सम्मुख अंकित कालमों मे दिनांक 01 जनवरी, 2013 से निम्न प्रकार संषोधित किया गया हैः–

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पूर्व पदनाम	संशोधित पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन	संशोधित वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन
1	श्री मुकेष उनियाल	प्रवर सहायक	वरिष्ठ सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2400	रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800

उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को मासिक पारिश्रामिक वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड–2 के भाग–दो से चार, सेवा नियमावलियों आदि एवं समय–समय पर षासन द्वारा जारी आदेषों के अनुसार किया जाता है।

मैनुवल–11

प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार की प्रोफेषनल इफिसियेन्सी डेवलपमेन्ट (राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का गठन) योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद् का गठन 50 प्रतिषत केन्द्रांष एवं 50 प्रतिषत राज्यांष के रूप में अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। उक्त योजना के अन्तर्गत शासनादेष संख्या 465/XV-1/पषुपालन/2 (13) /2005 10 अगस्त, के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का गठन किये जाने के पश्चात् दिनांक 16 अगस्त 2006 से परिषद् द्वारा विधिवत् कार्य प्रारम्भ किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् वर्षवार बजट आंवटन करते हुये परिषद् द्वारा आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय किया गया :–

वर्ष 2011–12:– निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 523 दिनांक 18 मई, 2011 के द्वारा शासनादेष संख्या 442/XV-1/11/1(12)/2010 दिनांक 12 मई, 2011 के द्वारा धनराषि रू. 8.00 लाख (रू0 आठ लाख) मात्र एवं निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 965 दिनांक 23 जून, 2011 के द्वारा शासनादेष संख्या 619/XV-1/11/1(12)/2010 दिनांक 21 जून, 2011 के द्वारा धनराषि रू. 9.32 लाख (रू. नौ लाख बतीस हजार) मात्र एवं निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 3703 दिनांक 24 जनवरी, 2012 के द्वारा शासनादेष संख्या 1454/ XV-1/11/1(12)/2010 दिनांक 23 जनवरी, 2012 के धनराषि रू. 9.44 लाख (नौ लाख चौवालीस हजार) मात्र आवंटित की गयी है।

(धनराषि रू. हजार मे)

क0 सं0	अनुदान संख्या/योजना का नाम	मद का नाम	आवंटित धनराषि	कुल व्यय	अवशेष धनराषि
1.	अनुदान संख्या–28 2403– पषुपालन आयोजनागत 101– पषुचिकित्सा सेवायें तथा पषुस्वास्थ्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0101–राज्य पषुचिकित्सा का गठन	01–वेतन	1400	1362	38
2.		03–मंहगाई भत्ता	840	774	66
3.		04–यात्रा भत्ता	25	25	–
4.		05–स्थाना0या0भत्ता	20	05	15
5.		06–अन्य भत्ता	154	237	83
		अधिष्ठान का योग	**2439**	**2403**	**36**
6.		08–कार्यालय व्यय	20	20	–
7.		09–विद्युत देय	10	10	–
8.		10–जलकर	05	05	–
9.		11–लेखन सामग्री	20	20	–
10.		13–टेंलीफोन व्यय	12	12	–
11.		15–मो0 गाड़ी अनु0	80	80	–
12.		18–प्रकाषन पर व्यय	05	05	–
13.		27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50	50	–
14.		42–अन्य व्यय	15	15	–
15.		46–कम्प्यूटर हार्डवेयर	05	05	–
16.		47–कम्प्यूटर स्टेषनरी	15	15	–
		प्रासंगिक का योग	**237**	**237**	**–**

		महायोग	**2676**	**2640**	**36**

नोटः– अवशेष धनराषि को समयान्तर्गत समर्पित किया गया।

<u>वर्ष 2012–13</u>:– निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1034 दिनांक 21 जून, 2012 के द्वारा शासनादेष संख्या 570/XV-1/12/1(12)/10 दिनांक 20 जून, 2012 के द्वारा धनराषि रू. 4.79 लाख (रू. चार लाख उनासी) मात्र एवं निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1728 दिनांक 18 अगस्त, 2012 के द्वारा शासनादेष संख्या 792/XV-1/12/1(12)/10 दिनांक 16 अगस्त, 2012 के द्वारा धनराषि रू. 8.74 लाख (रू. आठ लाख चौहत्तर हजार) मात्र एवं निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 2548 दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 के द्वारा शासनादेष संख्या 966/ XV-1/12/1(12)/10

दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के धनराषि रू. 5.47 लाख (पांच लाख सैंतालीस हजार) मात्र आवंटित की गयी है।

क0 सं0	अनुदान संख्या/योजना का नाम	मद का नाम	आवंटित धनराषि	कुल व्यय	अवशेष धनराषि
1.	अनुदान संख्या–28 2403– पषुपालन आयोजनागत 101– पषुचिकित्सा सेवायें तथा पषुस्वास्थ्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0101–राज्य पषुचिकित्सा का गठन	01–वेतन	986000	986000	0
2.		03–मंहगाई भत्ता	662000	658406	3594
3.		04–यात्रा भत्ता	4000	3982	18
4.		05–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	1000	–	1000
5.		06–अन्य भत्ता	211000	175764	35236

		अधिष्ठान का योग	1864000	1824152	39848
6.		08–कार्यालय व्यय	2000	1998	2
7.		09–विद्युत देय	1000	1000	–
8.		10–जलकर	1000	1000	–
9.		11–लेखन सामग्री	1000	1000	–
10.		13–टेलीफोन पर व्यय	1000	708	292
11.		15–मो0गाड़ी0अनु0	14000	13987	13
12.		16–व्यावसायिक शुल्क	1000	961	39
13.		18–प्रकाषन पर व्यय	1000	998	02
14.		27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9000	8870	130
15.		42–अन्य व्यय	1000	1000	–
16.		46–कम्प्यूटर हार्डवेयर	1000	1000	–
17.		47–कम्प्यूटर स्टेषनरी	3000	3000	–
		प्रासंगिक योग	190000	1859674	40326

नोटः– अवशेष धनराषि को समयान्तर्गत समर्पित किया गया।

<u>वर्ष 2012–13:–</u>

निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 4976 दिनांक 21 मार्च, 2013 के द्वारा शासनादेष संख्या 231/XV-1/13/1(12)/10 दिनांक 21 मार्च, 2013 के द्वारा अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत राज्य पषुचिकित्सा परिषद् (50 प्र.के.पो.) योजनान्तर्गत रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पषुचिकित्सा परिषद् के अतिथि के निर्माण एवं चाहरदिवारी हेतु पेयजल निर्माण निगम द्वारा गाठित आगणनों में टी.ए.सी वित्त अनुभाग द्वारा औचित्य पूर्ण पायी गयी धनराषि क्रमषः रू. 18.96 लाख एवं 0.65 लाख कुल रू. 19.61 लाख के सापेक्ष शासनादेष संख्या 291/XV –1/10/1(10)/09 पषुपालन अनभाग–1 दिनांक 26 मार्च, 2010 से योजनान्तर्गत पूर्व अवमुक्त धनराषि कुल रू0 9.68 को

कम करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुपूरक मॉग के माध्यम आय व्ययक में तथा योजना हेतु अवषेश धनराषि रू. 9.93 लाख (रू. नौ लाख तिरानब्बे हजार) मात्र की धनराषि इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है।

क0 सं0	अनुदान संख्या/योजना का नाम	मद का नाम	आवंटित धनराषि	कुल व्यय	अवशेष धनराषि
1.	अनुदान संख्या–30 4403– पषुपालन पर पूंजीगत परिव्यय 00–101–पषुचिकित्सा सेवायें तथा पषुस्वास्थ्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0101– राज्य पषुचिकित्सा परिषद् का गठन योजना	24–वृहत् निर्माण	993000	993000	–
	योग	–	993000	993000	–

<u>वर्ष–2013–14</u>

निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1144 दिनांक 06 जून, 2013 के द्वारा शासनादेष संख्या 727/XV-1/13/1(12)/10 दिनांक 03 जून, 2013 के द्वारा धनराषि रू. 09.46 (रू. नौ लाख छियालीय हजार मात्र) एवं निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1654 दिनांक 06 जुलाई, 2013 के द्वारा शासनादेष संख्या 961/XV-1/13/1(12)/10 दिनांक 05 जुलाई, 2013 के द्वारा धनराषि रू. 12.36 लाख (रू. बारह लाख छत्तीस हजार मात्र) आवंटित की गयी है।

क0 सं0	अनुदान संख्या/योजना का नाम	मद का नाम	आवंटित धनराषि	कुल व्यय	अवशेष धनराषि
1.	अनुदान संख्या–28 2403– पषुपालन आयोजनागत 101– पषुचिकित्सा सेवायें तथा पषुस्वास्थ्य	01–वेतन	1166000	1011626	154374

	01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0101–राज्य पषुचिकित्सा का गठन				
2.		03–मंहगाई भत्ता	736000	782553	–46553
3.		04–यात्रा भत्ता	5000	5000	0
4.		05–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	0	0	0
5.		06–अन्य भत्ता	194000	190120	3880
		अधिष्ठान का योग	**2101000**	**1989299**	**111701**
6.		08–कार्यालय व्यय	6000	6000	0
7.		09–विद्युत देय	1000	1000	0
8.		10–जलकर	2000	2000	0
9.		11–लेखन सामग्री	0	0	0
10.		13–टेलीफोन पर व्यय	10000	10000	0
11.		15–मो0गाड़ी0अनु0	15000	14998	02
12.		16–व्यावसायिक शुल्क	2000	2000	0
13.		18–प्रकाषन पर व्यय	0	0	0
14.		27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	30000	29874	126
15.		42–अन्य व्यय	5000	5000	0
16.		46–कम्प्यूटर हार्डवेयर	5000	4995	05
17.		47–कम्प्यूटर स्टेषनरी	5000	4996	04
		प्रासंगिक योग	**81000**	**80863**	**137**

नोटः– अवशेष धनराषि को समयान्तर्गत समर्पित किया गया।

<u>वर्ष–2014–15</u>

निदेशक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1186 दिनांक 04 जुलाई, 2014 के द्वारा शासनादेष संख्या 508/XV-1/14/1(12)/10 दिनांक 04 जुलाई, 2014 के द्वारा अनुदान संख्या 28 मे धनराशि रू. 09.00 (रू. नौ लाख मात्र) एवं निदेशक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 3159 दिनांक 10 नवम्वर, 2014 के द्वारा शासनादेष संख्या 1225/XV-1/14/1(12)/10 दिनांक 05 नवम्वर, 2014 द्वारा धनराशि रू. 11.40 (रू.ग्यारह लाख चालीस हजार मात्र) आवंटित की गयी।

नोटः– अवशेष धनराषि को समयान्तर्गत समर्पित किया गया।

निदेशक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 4957 दिनांक 21 फरवरी, 2014 के द्वारा शासनादेष संख्या 78/XV-1/14/1(12)/21 फरवरी , 2014 के द्वारा अनुदान संख्या 30 मे धनराशि रू. 11.06 (रू. ग्यारह लाख छः हजार मात्र) आवंटित की गयी है।

नोटः– अवशेष धनराषि को समयान्तर्गत समर्पित किया गया।

वर्ष–2015–16

निदेशक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1313 दिनांक 03 जुलाई, 2015 के द्वारा शासनादेष संख्या 606/XV-1/15/1(12)/10 दिनांक 02 जुलाई, 2015 के द्वारा अनुदान संख्या 28 मे धनराशि रू. 13.86 (रू. तेरह लाख छियालीस हजार मात्र) एवं निदेशक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 3635 दिनांक 09 दिसम्वर, 2015 के द्वारा शासनादेष संख्या 1022/XV-1/15/1(12)/10 दिनांक 08 दिसम्वर, 2015 द्वारा अनुदान संख्या 30 मे धनराशि रू. 13.76 (रू. तेरह लाख छिहत्तर हजार मात्र) आवंटित की गयी।

नोटः– अवशेष धनराषि को समयान्तर्गत समर्पित किया गया।

मैनुवल–12

अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों (Subsidy Programmes) के कियान्वयन की रीति, जिसमें आवटित राषि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्मलित हैं

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार की प्रोफेषनल इफिसियेन्सी डेवलपमेन्ट (राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का गठन) योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का गठन 50 प्रतिषत केन्द्रांष एवं 50 प्रतिषत राज्याष के रूप में अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। उक्त योजना के अन्तर्गत शासनादेष संख्या 465/XV - 1/पषुपालन/2(13)/2005 10 अगस्त, 2006 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का गठन किये जाने के पश्चात् दिनांक 16 अगस्त 2006 से परिषद् द्वारा विधिवत् कार्य प्रारम्भ किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् वर्षवार बजट आंवटन करते हुये परिषद् द्वारा आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय किया गया :–

वर्ष 2010–11:– निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 606 दिनांक 19 मई, 2010 के द्वारा शासनादेष संख्या 1037/XV-1/1(12)/2010 दिनांक 10 मई, 2010 के द्वारा धनराशि रू0 15.45 लाख (रू0 पन्द्रह लाख पैंतालीस हजार मात्र) एवं निदेषाक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1559 दिनांक 21 जुलाई, 2010 के द्वारा शासनादेष संख्या 1711/XV-1/1(12)/2010 दिनांक 19 जुलाई, 2010 के द्वारा धनराषि रू0 5.01 लाख (रू0 पांच लाख एक हजार) मात्र एवं निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 9118 दिनांक 15 फरवरी, 2011 के द्वारा शासनादेष संख्या 95/ XV-1/1(12)/2010 दिनांक 14 फरवरी, 2011 के धनराषि रू0 10.48 लाख (दस लाख अड़तालीस हजार मात्र) आवंटित की गयी है।

(धनराषि रू0 हजार में)

क0 सं0	**मद का नाम**	**आवंटित धनराषि**	**कुल व्यय**	**अवशेष धनराषि**
1.	01–वेतन	1800	1714	86
2.	03–मंहगाई भत्ता	630	603	27
3.	04–यात्रा भत्ता	50	35	15
4.	05–स्था0या0भ0	25	–	25
5.	06–अन्य भत्ता	198	234	–36
	अधिष्ठान का योग	**2703**	**2586**	**117**
6.	08–कार्यालय व्यय	20	20	–
7.	09–विद्युत देय	20	20	–
8.	10–जलकर	10	10	–
9.	11–लेखन सामग्री	25	25	–
10.	13–टेलीफोन	25	18	07
11.	15–मो0गाड़ी अनुरक्षण	100	100	–
12.	18–प्रकाषन व्यय	10	10	–
13.	27–चिकित्सा प्रतिपूति	100	100	–
14.	42–अन्य व्यय	50	50	–
15.	46–कम्प्यूटर	06	06	–
16.	47–कम्प्यूटर स्टेषनरी	25	24	01
	प्रासंगिक व्यय का योग	**391**	**383**	**08**

	महायोग	**3094**	**2969**	**125**

नोटः— अवशेष धनराषि को समयान्तर्गत समर्पित किया गया।

<u>वर्ष 2011—12:—</u> निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 523 दिनांक 18 मई, 2011 के द्वारा शासनादेष संख्या 442/XV-1/11/1(12)/2010 दिनांक 12 मई, 2011 के द्वारा धनराषि रू. 8.00 लाख (रू0 आठ लाख) मात्र एवं निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 965 दिनांक 23 जून, 2011 के द्वारा शासनादेष संख्या 619/XV-1/11/1(12)/2010 दिनांक 21 जून, 2011 के द्वारा धनराषि रू. 9.32 लाख (रू. नौ लाख बतीस हजार) मात्र एवं निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 3703 दिनांक 24 जनवरी, 2012 के द्वारा शासनादेष संख्या 1454/ XV-1/11/1(12)/2010 दिनांक 23 जनवरी, 2012 के धनराषि रू. 9.44 लाख (नौ लाख चौवालीस हजार) मात्र आवंटित की गयी है।

क0 सं0	अनुदान संख्या/योजना का नाम	मद का नाम	आवंटित धनराषि	कुल व्यय	अवशेष धनराषि
1.	अनुदान संख्या—28 2403— पषुपालन आयोजनागत 101— पषुचिकित्सा सेवायें तथा पषुस्वास्थ्य 01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0101—राज्य पषुचिकित्सा का गठन	01—वेतन	1400	1362	38
2.		03—मंहगाई भत्ता	840	774	66
3.		04—यात्रा भत्ता	25	25	—
4.		05—स्थाना0या0भत्ता	20	05	15
5.		06—अन्य भत्ता	154	237	83
		अधिष्ठान का योग	**2439**	**2403**	**36**

6.		08–कार्यालय व्यय	20	20	–
7.		09–विद्युत देय	10	10	–
8.		10–जलकर	05	05	–
9.		11–लेखन सामग्री	20	20	–
10.		13–टेंलीफोन व्यय	12	12	–
11.		15–मो0 गाड़ी अनु0	80	80	–
12.		18–प्रकाषन पर व्यय	05	05	–
13.		27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50	50	–
14.		42–अन्य व्यय	15	15	–
15.		46–कम्प्यूटर हार्ड्वेयर	05	05	–
16.		47–कम्प्यूटर स्टेषनरी	15	15	–
		प्रासंगिक का योग	**237**	**237**	**–**
		महायोग	**2676**	**2640**	**36**

नोटः– अवशेष धनराषि को समयान्तर्गत समर्पित किया गया।

<u>वर्ष 2012–13</u>:– निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1034 दिनांक 21 जून, 2012 के द्वारा शासनादेष संख्या 570/XV-1/12/1(12)/10 दिनांक 20 जून, 2012 के द्वारा धनराषि रू. 4.79 लाख (रू. चार लाख उनासी) मात्र एवं निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1728 दिनांक 18 अगस्त, 2012 के द्वारा शासनादेष संख्या 792/XV-1/12/1(12)/10 दिनांक 16 अगस्त, 2012 के द्वारा धनराषि रू. 8.74 लाख (रू. आठ लाख चौहत्तर हजार) मात्र एवं निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 2548 दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 के द्वारा शासनादेष संख्या 966/ XV-1/12/1(12)/10 दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के धनराषि रू. 5.47 लाख (पांच लाख सैंतालीस हजार) मात्र आवंटित की गयी है।

क0 सं0	अनुदान संख्या/योजना का नाम	मद का नाम	आवंटित धनराषि	कुल व्यय	अवशेष धनराषि
1.	अनुदान संख्या–28	01–वेतन	986000	986000	0

	2403– पषुपालन आयोजनागत 101– पषुचिकित्सा सेवायें तथा पषुस्वास्थ्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0101–राज्य पषुचिकित्सा का गठन				
2.		03–मंहगाई भत्ता	662000	658406	3594
3.		04–यात्रा भत्ता	4000	3982	18
4.		05–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	1000	–	1000
5.		06–अन्य भत्ता	211000	175764	35236
		अधिष्ठान का योग	1864000	1824152	39848
6.		08–कार्यालय व्यय	2000	1998	2
7.		09–विद्युत देय	1000	1000	–
8.		10–जलकर	1000	1000	–
9.		11–लेखन सामग्री	1000	1000	–
10.		13–टेलीफोन पर व्यय	1000	708	292
11.		15–मो0गाड़ी0अनु0	14000	13987	13
12.		16–व्यावसायिक शुल्क	1000	961	39
13.		18–प्रकाषन पर व्यय	1000	998	02
14.		27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9000	8870	130
15.		42–अन्य व्यय	1000	1000	–
16.		46–कम्प्यूटर हार्डवेयर	1000	1000	–
17.		47–कम्प्यूटर स्टेषनरी	3000	3000	–
		प्रासंगिक योग	190000	1859674	40326

नोटः– अवशेष धनराषि को समयान्तर्गत समर्पित किया गया।

वर्ष 2012–13:–

निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 4976 दिनांक 21 मार्च, 2013 के द्वारा शासनादेष संख्या 231/XV-1/13/1(12)/10 दिनांक 21 मार्च, 2013 के द्वारा अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत राज्य पषुचिकित्सा परिषद् (50 प्र.के.पो.) योजनान्तर्गत रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पषुचिकित्सा परिषद् के अतिथि के निर्माण एवं चाहरदिवारी हेतु पेयजल निर्माण निगम द्वारा गाठित आगणनों में टी.ए.सी वित्त अनुभाग द्वारा औचित्य पूर्ण पायी गयी धनराषि क्रमषः रू. 18.96 लाख एवं 0.65 लाख कुल रू. 19.61 लाख के सापेक्ष शासनादेष संख्या 291/XV –1/10/1(10)/09 पषुपालन अनभाग–1 दिनांक 26 मार्च, 2010 से योजनान्तर्गत पूर्व अवमुक्त

धनराषि कुल रू. 9.68 को कम करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुपूरक मॉग के माध्यम आय व्ययक में तथा योजना हेतु अवषेश धनराषि रू. 9.93 लाख (रू. नौ लाख तिरानब्बे हजार) मात्र की धनराषि इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है।

क0 सं0	अनुदान संख्या/योजना का नाम	मद का नाम	आवंटित धनराषि	कुल व्यय	अवशेष धनराषि
1.	अनुदान संख्या–30 4403– पषुपालन पर पूंजीगत परिव्यय 00–101–पषुचिकित्सा सेवायें तथा पषुस्वास्थ्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0101– राज्य पषुचिकित्सा परिषद् का गठन योजना	24–वृहत् निर्माण	993000	993000	–
	योग	–	993000	993000	–

वर्ष–2013–14

निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1144 दिनांक 06 जून, 2013 के द्वारा शासनादेष संख्या 727/XV-1/13/1(12)/10 दिनांक 03 जून, 2013 के द्वारा धनराषि रू. 09.46 (रू. नौ लाख छियालीय हजार मात्र) एवं निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1654 दिनांक 06 जुलाई, 2013 के द्वारा शासनादेष संख्या 961/XV-1/13/1(12)/10 दिनांक 05 जुलाई, 2013 के द्वारा धनराषि रू. 12.36 लाख (रू. बारह लाख छत्तीस हजार मात्र) आवंटित की गयी है।

क0 सं0	अनुदान संख्या/योजना का नाम	मद का नाम	आवंटित धनराषि	कुल व्यय	अवशेष धनराषि
1.	अनुदान संख्या–28 2403– पषुपालन आयोजनागत 101– पषुचिकित्सा सेवायें तथा पषुस्वास्थ्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0101–राज्य पषुचिकित्सा का गठन	01–वेतन	1166000	1011626	154374
2.		03–मंहगाई भत्ता	736000	782553	–46553
3.		04–यात्रा भत्ता	5000	5000	0
4.		05–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	0	0	0
5.		06–अन्य भत्ता	194000	190120	3880
		अधिष्ठान का योग	**2101000**	**1989299**	**111701**
6.		08–कार्यालय व्यय	6000	6000	0
7.		09–विद्युत देय	1000	1000	0
8.		10–जलकर	2000	2000	0
9.		11–लेखन सामग्री	0	0	0
10.		13–टेलीफोन पर व्यय	10000	10000	0
11.		15–मो0गाड़ी0अनु0	15000	14998	02

12.		16–व्यावसायिक शुल्क	2000	2000	0
13.		18–प्रकाषन पर व्यय	0	0	0
14.		27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	30000	29874	126
15.		42–अन्य व्यय	5000	5000	0
16.		46–कम्प्यूटर हार्डवेयर	5000	4995	05
17.		47–कम्प्यूटर स्टेषनरी	5000	4996	04
		प्रासंगिक योग	**81000**	**80863**	**137**
		महायोग	**2182000**	**2070162**	**111838**

नोटः– अवशेष धनराषि को समयान्तर्गत समर्पित किया गया।

<u>वर्ष–2014–15</u>

निदेशक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1186 दिनांक 04 जुलाई, 2014 के द्वारा शासनादेष संख्या 508/XV-1/14/1(12)/10 दिनांक 04 जुलाई, 2014 के द्वारा अनुदान संख्या 28 मे धनराशि रू. 09.00 (रू. नौ लाख मात्र) एवं निदेशक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 3159 दिनांक 10 नवम्वर, 2014 के द्वारा शासनादेष संख्या 1225/XV-1/14/1(12)/10 दिनांक 05 नवम्वर, 2014 द्वारा धनराशि रू. 11.40 (रू.ग्यारह लाख चालीस हजार मात्र) आवंटित की गयी।

नोटः– अवशेष धनराषि को समयान्तर्गत समर्पित किया गया।

निदेशक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 4957 दिनांक 21 फरवरी, 2014 के द्वारा शासनादेष संख्या 78/XV-1/14/1(12)/21 फरवरी , 2014 के द्वारा अनुदान संख्या 30 मे धनराशि रू. 11.06 (रू. ग्यारह लाख छः हजार मात्र) आवंटित की गयी है।

नोटः– अवशेष धनराषि को समयान्तर्गत समर्पित किया गया।

<u>वर्ष–2015–16</u>

निदेशक, पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1313 दिनांक 03 जुलाई, 2015 के द्वारा शासनादेष संख्या 606/XV-1/15/1(12)/10 दिनांक 02 जुलाई, 2015 के द्वारा अनुदान संख्या 28 मे धनराशि रू. 13.86 (रू. तेरह लाख छियालीस हजार मात्र) एवं निदेशक,

पषुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 3635 दिनांक 09 दिसम्वर, 2015 के द्वारा शासनादेष संख्या 1022/XV-1/15/1(12)/10 दिनांक 08 दिसम्वर, 2015 द्वारा अनुदान संख्या 30 मे धनराशि रू. 13.76 (रू. तेरह लाख छिहत्तर हजार मात्र) आवंटित की गयी।

नोटः– अवशेष धनराषि को समयान्तर्गत समर्पित किया गया।

मैनुवल–13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले पशुचिकित्साविदों से पंजीकरण शुल्क के रूप में रू0 25.00 का पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम लिया जाता है तथा परिषद् के खाते में जमा किया जाता है।

पंजीकृत पशुचिकित्साविदों द्वारा अपने पंजीकरण को अन्य किसी राज्यों के पशुचिकित्सा परिषद् में पंजीकरण कराने से पूर्व इस परिषद के पंजीकरण को निरस्त करने के लिये निरस्तीकरण शुल्क के रूप में रू0 25.00 का पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राप्ट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

बैंक खाते में जमा धनराषि पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज प्राप्तियों के अन्तर्गत है।

नोट – भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 की धारा 61 में निहित प्राविधानों के अनुसार परिषद् ने वर्ष 2015–16 में पंजीकरण, नवीनीकरण से प्राप्त कुल धनराषि रू. 2100.00 (रू0 दो हजार एक सौ पच्चीस मात्र) प्राप्त हुआ, जिसका एक चौथाई भाग रू. 525.00 (रू. पॉच सौ पच्चीस मात्र) मात्र बैंक ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... के माध्यम से भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है।

मैनुवल–14

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद् में पशुचिकित्साविदों का पंजीकरण किया जाता है तथा वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड–2 के भाग दो से चार में निहित प्राविधान के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू किये जाते हैं। उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेष के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के कार्यो का सम्पादन किया जाता है।

मैनुवल–15

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे

वर्ष 2015– 16 मे उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् कार्यालय की वेबसाइट www.uvc.org.in का प्रमोचन/लांच किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् का ईमेल पता registrar @ uvc.org.in है। उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् कार्यालय में वर्ष 2010–11 से ब्राडबैन्ड भी लगाया गया है। कार्यालय का दूरभाष संख्या 0135–2608910 है।

मैनुवल–16

सूचना अभिप्राप्त करने लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

(किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण)

वर्तमान समय में उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद् के कार्यालय में पुस्तकालय या वाचन कक्ष उपलब्ध नहीं है।

इस परिषद् द्वारा पशुओं में होने वाले प्रमुख रोगों एवं उनकी रोकथाम, बडें पशुओं में गर्भाधान आदि में पशुपालकों को लाभ पहुॅचाने के उद्देष्य से प्रषिक्षण मौडियूल सेवारत पशुचिकित्साविदों को उपलब्ध कराते हुये प्रषिक्षण के माध्यम से पशुपालकों को लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है।

पशुचिकित्सा परिषद् के माध्यम से समय–समय पर राज्य में सेवारत पशुचिकित्साविदों को पशुपालन एवं उससे सम्बन्धित विषयों में नयी तकनीक एवं अनुसन्धान की जानकारी हेतु इन्हे विभिन्न संस्थानों में प्रषिक्षित भी कराया जाता है ताकि वे अपने अपने पद स्थापित क्षेत्रों के पशुपालकों को लाभान्वित कर सकें जिससे पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में वृद्वि हो सके।

मैनुवल–17

अन्य सूचनायें

उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के विधिवत् गठन हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 905/XV-1/2(13)/05 दिनांक 18–10–2005 के द्वारा भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम् 1984 की धारा–32 तथा धारा–38 में निहित प्राविधानों के अनुसार तीन सदस्यों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिये नामित किया गया है।

1– डा0एम0सी0खण्डूरी,
सेवानिवृत्त उपनिदेषक, दयानन्द मार्ग सुभाषनगर,
कलैमन टाउन, देहरादून।

2– डा0आर0पी0बहुगुणा,
सेवानिवृत्त अपर निदेषक, 24/3 सरकुलर रोड़
देहरादून।

3– डा0ए0एस0धामी,
सेवानिवृत्त निदेषक, ग्राम–चौहान पाटा पोस्ट रानीबाग,
तहसील–नैनीताल जिला–नैनीताल।

उक्त तीनो नामित सदस्यों द्वारा दिनांक 03.05.2013 को अपना कार्यभार ग्रहण किया है। वर्तमान मे परिषद के चुनाव की कार्यवाही गतिमान है, जिसके क्रम मे पंजीकृत पषुचिकित्साविदों की सूची गजट नोटिफिकेषन हेतु शासन को प्रेषित गयी है।

मैनुअल 1 से 16 तक विभिन्न शासनादेषों की छाया प्रति संलग्न हैः–

परिषिष्ट–1 सरकारी गजट, उत्तराचंल, उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाषित असाधारण विधायी की छाया प्रति

परिषिष्ट–2 उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् हेतु स्वीकृत पदों के शासनादेश की छाया प्रति

परिषिष्ट–3 उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा आवंटित बजट वर्ष , 2015–16 के शासनादेश की छाया प्रति।

परिषिष्ट–4 उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में वर्ष 2015–16 में पंजीकृत पशुचिकित्साविदों की सूची की छाया प्रति ।

परिषिष्ट–5 उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में वर्ष 2015–16 में जिन पषुचिकित्साविदों को राज्य पशुचिकित्सा प्रैक्टिसनर रजिस्टर से हटाये गये/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये की सूची की छाया प्रति।

परिषिष्ट–5 भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् की नियमावली ।

उत्तराखण्ड सरकार

पशुधन अनुभाग–1

अधिसूचना

संख्या 2956/12–प–1–1–91–भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, अधिनियम, 1984 की धारा 65 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नियमावली बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् नियमावली

2002

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली उत्तराखण्ड राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियमावली 2002 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं–

(1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –

(क) 'अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) से है।

(ख) "निर्वाचन या पुनः निर्वाचन" का तात्पर्य राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में निर्वाचन या पुनः निर्वाचन से है।

(ग) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है।

(घ) "नामनिर्देश या पुनः नामनिर्देशन" का तात्पर्य राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में नाम–निर्देशन या पुनः नामनिर्देशन से है।

(ङ.) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रार से है।

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य सरकार से है।

(छ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है।

(ज) "अधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकरण से है।

(झ) इस नियमावली में प्रयुक्त बिन्दु पृथक से अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये है।

राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में सदस्यों का निर्वाचन

(धारा–37)

3– निर्वाचन की सूचना– धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार निर्वाचन के प्रस्तावित दिनांक के सम्बन्ध में राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत समस्त पशुचिकित्सा व्यवसायियों की सूचना के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाषित करेगी।

4–निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना– नियम 3 के अधीन सूचना के प्रकाषन के पश्चात् यथाषक्य शीघ्र रजिस्ट्रार नामावली तैयार करेगा जिसमें पशुचिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत समस्त पशुचिकित्सा व्यवसायियों का नाम व पता उल्लिखित किया जायेगा।

5– निर्वाचन नामावली का प्रकाषनः– रजिस्ट्रार नियम 4 के अधीन तैयार की गयी निर्वाचक नामावली को प्रकाषित करेगा और राज्य पषु चिकित्सा परिषद् के कार्यालय में उसकी एक प्रति संप्रदर्षित कर निरीक्षण के लिये उपलब्ध करायेगा।

6– दावे और आपत्तियांः– निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने का प्रत्येक दावा और उसमें की सभी किसी प्रविष्टि पर प्रत्येक आपत्ति नियम 5 के अधीन निर्वाचक नामावली के प्रकाषन के दिनांक से 30 दिन के भीतर क्रमषः प्रपत्र एक और दो में की जायेगी।

7– दावा और आपत्ति के प्रपत्र और उनके निस्तारण की रीति–

(1) प्रपत्र एक में प्रत्येक दावे पर रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायियों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(2) प्रपत्र दो में प्रत्येक आपत्ति से रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी जिनका नाम निर्वाचक नामावली में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है और उस पर ऐसे किन्ही अन्य रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा जिसका नाम भी नामावली में सम्मिलित किया गया हो।

(3) दावों और आपत्तियों पर रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया जायेगा जो किसी दावे की अनुमति दे सकता है या अस्वीकार करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर सकता है।

(4) किसी दावे या आपत्ति की अनुमति देने या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

8. नामावली का अन्तिम प्रकाशानः–

(1) रजिस्ट्रार ऐसे संशोधनों यदि कोई हों, के पश्चात् जिन्हें वह आवश्यक समझे

अन्तिम निर्वाचक नामावली प्रकाषित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रकाषित अन्तिम निर्वाचक नामावली की एक प्रति राज्य

सरकार को भेजी जायेगी।

9 रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारीः–

(1) राज्य सरकार, नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन प्रकाशित निर्वाचक नामावली की एक प्रति प्राप्त करने के पश्चात् एक रिटर्निंग अधिकारी पदनिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा।

(2) राज्य सरकार एक या अधिक व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकती है जो सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में रिटर्निंग अधिकारी को उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता करेंगे और जो राज्य सरकार के अधिकारी होंगे।

(3) प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, रिटर्निंग अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये सक्षम होंगे परन्तु सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के ऐसे किन्हीं कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा जो मतपत्रों को देने, मतपत्रों को गिनते या निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से सम्बन्धित हो।

10 नाम निर्देशन नामांकन आदि के लिए दिनांक का निर्धारण–

(1) रिटर्निंग अधिकारी सरकारी गजट में या किसी स्थानीय समाचार–पत्र में या ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, प्रकाषित अधिसूचना द्वारा–

(एक) नाम निर्देषन के लिए दिनांक निर्धारित करेगा जो अधिसूचना के प्रकाषन के दिनांक का सातवां दिन या यदि उस दिन सार्वजनिक छुट्टी हो तो अगला कार्य दिवस होगा।

(दो) अभ्यर्थिता वापस लेने का दिनांक निर्धारित करेगा जो नामनिर्देषन की संविक्षा के दिनांक का दूसरा दिन होगा या उस दिन सार्वजनिक छुट्टी हो तो अगला कार्य दिवस होगा।

(तीन) मतदान का यदि आवष्यक हो, दिनांक निर्धारित करेगा जो अभ्यर्थिता वापस

लेने के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति के पूर्व का न होगा।

(चार) मतों की गणना करने के लिए और परिणाम की घोषणा करने के लिए जो मतदान के दिनांक से तीन दिन के भीतर होगी दिनांक, समय और स्थान निर्धारित करेगा।

10–(2) उप नियम (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना में राज्य परिषद् में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी स्थान विनिर्दिष्ट होगा जहां नाम निर्देषन पत्र प्रदत्त किये जायेगें।

11– विधिमान्य नामनिर्देषन के लिए अपेक्षायें और उनका प्रस्तुतीकरणः–

(1) नियम 10 के अधीन नामनिर्देषन के लिए निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व

प्रत्येक अभ्यर्थी रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक सहित एक रजिस्ट्रीकृत पत्र प्रपत्र 3 में

सम्यक रूप से भरा हुआ नाम निर्देषन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा या स्वयं उसे देगा।

(2) प्रत्येक नामनिर्देषन पत्र पर दो मतदाताओं द्वारा एक प्रस्तावक के रूप में और दूसरा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किया जायेगा और अभ्यर्थी द्वारा अनुमति दी जायेगी।

परन्तु कोई मतदाता प्रस्तावक या समर्थक के रूप में भरी जानी वाली सीटों की संख्या से अधिक नामनिर्देषन पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई मतदाता भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक संख्या में, यथास्थिति प्रस्तावक या समर्थक के रूप में, नामनिर्देषन पत्रों पर हस्ताक्षर करता है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर प्रथम प्राप्त नामनिर्देषन पत्र, यदि वे अन्यथा ठीक हैं, विधिमान्य समझे जायेंगे और ऐसे समस्त अन्य नामनिर्देषन पत्र, जो उसी मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित और साथ–साथ प्राप्त किये गये हैं, अधिमान्य समझे जायेंगे।

12–नामनिर्देषन पत्र का अस्वीकार किया जानाः–

ऐसे किसी नामनिर्देषन पत्र को जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित्त निर्धारित नामनिर्देषित करने के दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त नहीं होगा, अस्वीकार कर दिया जायेगा।

13– नाम निर्देषन पत्रों की संविक्षाः–

(1) नामनिर्देषन पत्रों की संविक्षा के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियत दिनांक और समय को अभ्यर्थी और प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्तावक और समर्थक या अभ्यर्थियों द्वारा इस निमित सम्यक रूप से प्राधिकृत अन्य प्रतिनिधि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं जो उन्हें समस्त अभ्यर्थियों के ऐसे नामनिर्देषन पत्रों की, जो उसके द्वारा उपर्युक्तानुसार द्वारा प्राप्त हुए हों,परीक्षण करने की अनुमति देगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी इस प्रकार प्राप्त नामनिर्देषन पत्रों का परीक्षण करेगा और किसी नामनिर्देषन पत्र की विधिमान्यता के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रष्नों का विनिष्चय करेगा और उस पर उसका विनिष्चय अन्तिम होगा।

14– अभ्यर्थिता वापस लेना–

(1) कोई अभ्यर्थी, नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (दो) के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को अपने द्वारा हस्ताक्षरित और लिखित सूचना देकर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है।

(2) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, ऐसी वापसी को रद्द करने या उसी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देषित किये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

15– निर्वाचन लाने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाषनः–

(1) ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् जिसके अभ्यर्थी नियम 14 के अधीन अपने नाम निर्देषन वापस ले सकते हैं, रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और प्रकाषित करेगा जिनके नामनिर्देषन विधिमान्य हैं और जिन्होंने उक्त अवधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है।

(2) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के नाम (वर्णमाला कम में) और पते होंगे व जैसा कि नामनिर्देषन में दिया गया है।

(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची को गजट में और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाषित किया जायेगा उसका ऐसी रीति से, जैसा रिटर्निंग अधिकारी उचित समझे, व्यापक प्रचार किया जायेगा।

16—मतदान

(1) यदि निर्वाचन के लिए सम्यक रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो रिटर्निंग अधिकारी तुरन्त ऐसे अभ्यर्थियों को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से कम हो तो रिटर्निंग अधिकारी मतदान के लिए नियत दिनांक के कम से कम तीस दिन पूर्व विदेष में निवास करने वाले या व्यवसाय करने वाले प्रत्येक निर्वाचक हवाई डाक द्वारा और देष के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक अन्य निर्वाचक को डाक द्वारा प्रपत्र चार में मतपत्र और साथ—साथ प्रपत्र पांच में संख्यांकित घोषणा—पत्र, प्रपत्र छः में सूचना का एक पत्र जिसमें वर्णमाला क्रम में अभ्यिर्थियों के नाम होंगे और उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप होगा। रिटर्निंग अधिकारी को संबोधित मतपत्र आवरण और उक्त अधिकारी को सम्बोधित एक अन्य आवरण भी भेजा जायेगा।

(क) प्रतिबन्ध यह है कि रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करने पर किसी निर्वाचक को मतपत्र और सम्बन्धित पत्र रिटर्निंग अधिकारी को यह समाधान हो जाने पर कि पत्रादि उसे नहीं भेजे गये हैं, मतदान के लिए नियत दिनांक से पूर्व भेजे जा सकते हैं।

(3) निर्वाचक को भेजे गये ऐसे प्रत्येक सूचना पत्र के सम्बन्ध में डाक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(4) ऐसा कोई निर्वाचक जिसने डाक द्वारा भेजे गये मतपत्र और अन्य सम्बन्धित पत्रादि प्राप्त नहीं किये हैं या जिसने उन्हें खो दिया है या जहॉ रिटर्निंग अधिकारी को पत्रादि लौटाने के पूर्व असावधानी से खराब हो गये हों तो इस आषय का लिखित रूप में घोषणा पत्र भेज सकता है और मतदान के लिये नियत दिनांक के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी से पत्रादि भेजने के लिए अनुरोध कर सकता है और यदि बचे पत्रादि खराब हो चुके हैं तो खराब पत्रादि रिटर्निंग अधिकारी को वापस कर दिया जायेगा और जिन्हें प्राप्त होने पर वह रद्द कर देगा।

(5) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें नये पत्रादि जारी किये गये हैं, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के नाम से सम्बन्धित संख्या पर यह बताने के लिये निर्वाचक नामावली कि उसे नये पत्रादि जारी कर दिये गये है, एक चिन्ह लगाया जायेगा।

(6) किसी मतदाता द्वारा मतपत्र और अन्य सम्बन्धित पत्र प्राप्त न होने के कारण कोई निर्वाचन अविधिमान्य नहीं होगा।

(7) प्रत्येक निर्वाचक को उतने अभ्यर्थियों को मत देने का अधिकार होगा जितने स्थान निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले हों और मत अनन्तरणीय होगा।

(8) अपने मत का अभिलेख कराने के लिए इच्छुक प्रत्येक निर्वाचक सूचना पत्र (प्रपत्र चार) में दिये गये निर्देषों के अनुसार घोषणा पत्र (प्रपत्र पांच) और मतपत्र (प्रपत्र छः) भरने के पश्चात् मतपत्र आवरण में मतपत्र संलग्न करेगा, उक्त आवरण को घोषण पत्र सहति रिटर्निंग अधिकारी को सम्बोन्धित बाहरी लिफाफा चिपकायेगा और उस बाहरी लिफाफे को निर्वाचक के निजी खर्च पर डाक द्वारा या हाथों–हाथ स्वयं रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा जिससे कि वह मतदान के लिये निर्धारित दिनांक को मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय तक पहुंच जाय।

(9) घोषणा पत्र वाले लिफाफे और मतपत्र वाले बन्द आवरण को डाक द्वारा या स्वयं द्वारा प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी बाहरी लिफाफे पर उसकी प्राप्ति का दिनांक और समय पृष्ठांकित करेगा।

(10) मतदान के लिए निर्धारित दिनांक और समय के पश्चात् प्राप्त समस्त लिफाफे अस्वीकार कर दिये जायेंगे।

17– आवरण को खोला जानाः–

(1) रिटर्निंग अधिकारी मतदान के लिए निर्धारित दिनांक को मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के तुरन्त पश्चात् बाहरी लिफाफे पर उसको सम्बोधित स्थान पर खोलेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने द्वारा सम्यक रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि को उस समय जब बाहरी लिफाफे खोले जांय, उपस्थित होने के लिए भेज सकता हैं।

मतपत्र आवरणों का अस्वीकार किया जाना–

(1) किसी मतपत्र को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा, यदि

(क) बाहरी लिफाफे में मतपत्र आवरण के बाहर कोई घोषणा पत्र न हो, या

(ख) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजा गया वही घोषणा पत्र न हो, या

(ग) घोषणा पत्र निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित न हो, या

(घ) मतपत्र आवरण के बाहर मतपत्र रखा गया हो, या

(ङं.) एक ही बाहरी लिफाफे में एक से अधिक घोषणा पत्र या मतपत्र आवरण संलग्न किये गये हों।

(2) अस्वीकार किये जाने के प्रत्येक मामले में, मतपत्र आवरण और घोषणा–पत्र पर शब्द "अस्वीकृत" पृष्ठांकित किया जायेगा। अस्वीकृत किये जाने के कारण भी संक्षेप में मतपत्र आवरण पर अभिलिखित किये जायेंगें।

(3) अपना समाधान करने के पष्चात् कि निर्वाचकों ने घोषणा–पत्रों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं, रिटर्निंग अधिकारी नियम 21 के अधीन निस्तारण होने तक समस्त घोषणा–पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

19– मतों की संवीक्षा और गणना–

(1) मतों की गणना के लिए नियत दिनांक को, नियम 18 के अधीन अस्वीकृत किये गये मतपत्र आवरणों से भिन्न मतपत्र आवरणों को खोला जायेगा और मतपत्रों को निकाला जायेगा और उन्हें एक साथ मिला दिया जायेगा।

(2) तत्पष्चात मतपत्रों की संवीक्षा की जायेगी और विधिमान्य मतों की गणना की जायेगी।

(3) गणना की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए कोई भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकता है या लिखित और सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है।

(4) कोई मतपत्र अविधिमान्य होगा, यदिः

(क) उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप नहीं है, या

(ख) कोई मतदाता मतपत्र पर अपने हस्ताक्षर करता है या उस पर कोई शब्द लिखता है या उस पर कोई ऐसा चिन्ह बना देता है जिससे यह पहचान हो जाय कि वह उसका मतपत्र है,या

(ग) उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाय, या

(घ) वह अभिलिखित मत की अनिष्चितता के कारण शून्य है, या

(ड) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या निर्वाचित किये जाने की संख्या से अधिक हो, या

(च) मतों का अभिलेखन इस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित स्थान से भिन्न स्थान पर किया गया हो।

(5) रिटर्निंग अधिकारी मतों की संवीक्षा और गणना के समय अनुरोध किये जाने पर मतपत्रों को अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की दिखायेगा।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि मतपत्र को इस आधार पर स्वीकार किये जाने पर आपत्ति करता है कि वह मतपत्र विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है यहां रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तुरन्त विनिष्चय किया जायेगा जिसका उस पर विनिष्चय अन्तिम होगा।

(20) परिणाम की घोषणाः–

(1) जब मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाय तब रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त उच्चतम् मदों के क्रम में अभ्यर्थियों की एक सूची बनायेगा और उस क्रम में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के अनुसार घोषित करेगा।

(2) यदि इस प्रकार घोषित किया गया निर्वाचित कोई अभ्यर्थी निर्वाचन स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उस अभ्यर्थी के स्थान पर शेष अभ्यर्थियों में से ऐसा अभ्यर्थी जिसने उसके बाद सबसे अधिक मत प्राप्त किये हों, निर्वाचित समझा जायेगा और जब कभी भी इस प्रकार रिक्ति हो जाय इसके लिये भी यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(3) जब दो या अधिक अभ्यर्थियों के बीच मतों की संख्या बराबर–बराबर हो, तब यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को जिसें या जिन्हें निर्वाचित समझा जायेगा, उनके निर्वाचन की अवधारणा रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा पर्ची डालकर ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसी वह अवधारित करे।

(4) जैसे ही परिणाम की घोषणा कर दी जाय रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को राज्य पषुचिकित्सा परिषद् में उसके निर्वाचित हो जाने की सूचना तुरन्त देगा।

21–मतपत्रों का रखा जाना–

(1) मतगणना पूरी होने पर और परिणाम की घोषणा करने के पष्चात् रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों और निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त अन्य दस्तावेजों को मुहरबन्द करेगा और उन्हें छः मास की अवधि के लिये रखेगा और उक्त छः मास की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी बिना राज्य सरकार की अनुमति के इन अभिलेखों को नष्ट नहीं करेगा और न नष्ट करायेगा।

22–निर्वाचन के परिणाम की सूचना–

(1) रिटर्निंग अधिकारी अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार को निर्वाचित अभ्यर्थियों के नामों की सूचना गजट में प्रकाषन के लिये देगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित किसी विवाद की स्थिति में जिसे उस निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 15 दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे अधिनियम की धारा 37 के अधीन विनिश्चय के लिये राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा।

अध्याय–3

राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन

(धारा–36)

23– राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के सदस्यों का रजिस्टर–

राज्य पषुचिकित्सा परिषद् का कार्यालय प्रपत्र–सात में एक रजिस्टार रखेगा, जिसमें समय–समय पर निर्वाचित या उसमें नाम निर्देषित सदस्यों के नाम और अन्य ब्योरे दिये जायेंगें।

24– राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रकिया–

(1)राज्य पषुचिकित्सा परिषद् का अध्यक्ष, परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा। निर्वाचन उक्त परिषद् के यथास्थिति, गठन या पुर्नगठन के पष्चात् उसकी प्रथम बैठक में किया जायेगा।

(2) रजिस्ट्रार उस बैठक में उपस्थित सदस्यों को अध्यक्ष के पद के लिये अपने नाम निर्देषन के लिये आमंत्रित करेगा। प्रत्येक नाम निर्देषन का समर्थन उस बैठक में उपस्थित किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थक के रूप में किया जायेगा–

प्रतिबन्ध यह है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की अभ्यर्थिता के लिये एक से अधिक सदस्य को न तो नामनिर्दिष्ट करेगा और न ही उसका समर्थन करेगा।

(3) यदि इस प्रकार केवल एक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट हो तो वह राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(4) फिर भी यदि अध्यक्ष को अभ्यर्थिता के लिये सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट और समर्थित एक से अधिक सदस्य हों तो रजिस्ट्रार निम्नलिखित रीति से मतदान कराने की कार्यवाही करेगा।

(क) प्रत्येक उपस्थित सदस्य को एक पर्ची दी जायेगी जिस पर सदस्य उस प्रतियोगी का नाम लिखेगा जिसके पक्ष में वह मत डालना चाहता है तत्पष्चात् वह पर्ची को मोड़ेगा और उसे रजिस्ट्रार को देगा।

(ख) समस्त पर्चियां प्राप्त हो जाने पर रजिस्ट्रार प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या को गिनेगा और उस सदस्य को जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता हैं राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(ग) यदि दो या अधिक प्रतियोगी बराबर–बराबर मत प्राप्त करते हैं जिससे कि यह विनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि किसने अधिकतम मत प्राप्त किये हैं तो रजिस्ट्रार ऐसे मामले का विनिश्चय ऐसी रीति से, जैसी वह उचित समझें, पर्ची डालकर कर सकता है और इस प्रकार पर्ची द्वारा अभिज्ञात सदस्य को राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

अध्याय–चार

राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के कार्य सम्पादन की प्रकिया

धारा–38 (6)

25– कार्य का समय व स्थान–

(1) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् की कार्य सम्बन्धी बैठकें साधारणतया प्रत्येक तीन मास में एक बार ऐसे समय और स्थान पर की जायेगी जैसा उसके अध्यक्ष द्वारा विनिष्चय किया जाय। प्रतिबन्ध यह है कि चयनित स्थान उत्तराखण्ड राज्य के भीतर होगा।

(2) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् का अध्यक्ष उक्त परिषद् के कार्य सम्बन्धी किसी बैठक के दौरान उसकी अगली बैठक के लिये दिनांक का विनिष्चय कर सकता है।

(3) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् की कोई विषेष बैठक यदि आवष्यक समझी जाय अध्यक्ष द्वारा सात दिन की सूचना पर किसी भी समय बुलाई जायेगी।

(4) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् की प्रथम बैठक जो किसी वित्तीय वर्ष में हुई हो वह राज्य पषुचिकित्सा परिषद् की उस वर्ष की बार्षिक बैठक समझी जायेगी।

(5) उपनियम (3) के अधीन बुलायी गई किसी विषेष बैठक से भिन्न प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं दिया जायेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा उन्हें उक्त बैठक के पष्चात् कम से कम तीस दिन के अन्दर संप्रेषित किया जायेगा।

(6) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् की किसी साधारण त्रैमासिक बैठक की प्रारम्भिक कार्य–सूची पर कार्य के मदों की लिखित सूचना रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यों की बैठक के बहुत पूर्व और किसी भी स्थिति में बैठक के लिये निर्धारित दिनांक के कम से कम तीस दिन पूर्व दी जायेगी।

(7) फिर भी, किसी विषेष बैठक की स्थिति में, रजिस्ट्रार उस बैठक के लिये निर्धारित दिनांक के कम से कम सात दिन पूर्व उक्त बैठक के लिये सूचना के साथ–साथ उस बैठक में प्रस्तावित कार्य–सूची पर कार्य की मदें भेजेगा।

(8) ऐसा कोई सदस्य जो किसी साधारण बैठक की कार्य–सूची में सम्मिलित न किये गये किसी प्रस्ताव को रखना चाहता है या इस प्रकार सम्मिलित की गई कार्य–सूची के किसी मद में संषोधन करना चाहता है तो उसकी लिखित सूचना रजिस्ट्रार को बैठक के लिये निर्धारित दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व देगा। तत्पष्चात् रजिस्ट्रार राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष की सहमति से, बैठक के लिये अन्तिम कार्य–सूची में ऐसे किसी अनुरोध को स्थान देगा।

26–कार्य सत्र–

राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उसका अध्यक्ष उपस्थित होने पर ब्योरा या अनुपस्थिति की दषा में उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये किसी अन्य सदस्य द्वारा की जायेगी।

27– गणपूर्ति–

(1) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् की किसी बैठक में कार्य सम्पादन के लिये आवष्यक गणपूर्ति छः होगी अर्थात् संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी।

(2) यदि किसी बैठक के लिये नियत समय पर गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक गणपूर्ति के पूरी होने तक प्रारम्भ नहीं होगी और यदि बैठक के नियत समय से एक घंटे की समाप्ति पर भी गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक उसी तिमाही में ऐसे भावी दिनांक और समय के लिये स्थगित कर दी जायेगी जैसा राज्य पषुचिकित्सा परिषद् का अध्यक्ष नियत करे।

28– कार्य कलाप–

(1) ऐसे सभी प्रष्न जो राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के किसी बैठक समक्ष आये, उपस्थिति सदस्यों के बहुमत से और मतदान द्वारा विनिष्चित किये जायेंगें।

(2) मतों की बराबरी की स्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।

(3) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के प्रत्येक बैठक के चाहे साधारण हो या विषेष कार्यवृत की एक प्रति बैठक के दो दिन के भीतर उसके अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी और उसके द्वारा अभिप्रमाणित करने के पष्चात् प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी जैसा कि नियम–25 के उप नियम (5) के अधीन व्यवस्थित है।

अध्याय–पॉच

कार्यपालिका और अन्य समितियॉ (धारा 40)

29– कार्यपालिका समिति और अन्य समितियॉ –

(1) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम की धारा–40 के अधीन अपने सदस्यों में से एक कार्यपालिका समिति और अन्य समितियॉ ऐसे प्रयोजन के लिये, जैसा यह आवष्यक समझे इस निमित्त किसी प्रस्ताव के अंगीकरण पर, गठित कर सकती है और उक्त प्रस्ताव में स्वयं ऐसे प्रत्येक समिति का प्रयोजन और कृत्य परिनिष्चित कर सकती है।

(2) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् कार्यपालिका समिति से भिन्न किसी समिति में किसी विषय पर सलाह देने के लिये विषेष रूप से अर्ह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस निमित्त किसी प्रस्ताव के अंगीकरण द्वारा सहयोजित भी कर सकती है।

(3) यथास्थिति, कार्यपालिका समिति या किसी अन्य समिति की किसी बैठक के लिये गणपूर्ति उसके गठन के समय विनिर्दिष्ट की जायेगी। गणपूर्ति इस सम्बन्ध में नियत सदस्यों के साधारण बहुमत से कम नहीं होगी।

(4) इस प्रकार गठित कार्यपालिका समिति और अन्य समितियॉ राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रार को ऐसे प्रस्ताव में, जिसमें समिति का गठन किया गया है, निर्दिष्ट विषयों पर प्रस्ताव में इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट करेगी।

(5) आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, उपनियम (1) के अधीन राज्य पषुचिकित्सा परिषद् द्वारा गठित किसी समिति के समय को बढ़ाया नहीं जायेगा।

(6) रजिस्ट्रार राज्य पषुचिकित्सा परिषद् की अगली बैठक में उसके समक्ष समिति की उक्त रिपोर्ट रखेगा।

अध्याय–छः

फीस और भत्ते (धारा–41)

30– यात्रा और दैनिक भत्ता–

(1) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष और राज्य सरकार के पदाधिकारियों और पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों को, यथास्थिति राज्य पषुचिकित्सा परिषद् या समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्रयोज्य दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

(2) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिये ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान किया जायेगा जैसा कि राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के सदस्यों को अनुमन्य हो।

31–फीस–

(1) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् या कार्यपालक समितियों या अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिये राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के सदस्य या पदेन सदस्य (अध्यक्ष से भिन्न) को पचास रूपये की फीस का भुगतान किया जायेगा।

(2) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष को, यदि वह राज्य सरकार का पदाधिकारी नहीं है, राज्य पषुचिकित्सा परिषद् की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिये एक सौ रूपये की फीस और किसी समिति की बैठकों में उपस्थिति होने के लिये पचास रूपये की फीस का भुगतान किया जायेगा।

(3) जहां राज्य पषुचिकित्सा परिषद् का कोई सदस्य नियम 26 के अधीन उसकी किसी बैठक की अध्यक्षता करता है, वहां उसको एक सौ रूपये की फीस का भुगतान किया जायेगा।

अध्याय–सात

रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्ते

{(धारा–42 (2)}

32–राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रार और परिषद् द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, वही होंगी जैसा राज्य सरकार की सेवा नियमों के अधीन उसी प्रास्थिति के राज्य सरकार के पदाधिकारियों पर प्रयोज्य हो।

अध्याय–आठ

राज्य पषुचिकित्सा रजिस्ट्रार

33– यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य पषुचिकित्सा परिषद्, जैसा कि अधिनियम की धारा 44 के अधीन उपबन्धित है, उत्तराखण्ड के लिये प्रपत्र आठ में राज्य पषुचिकित्सा का रजिस्टर रखेगी जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम और अन्य सुसंगत विषिष्टियां होंगी जो मान्यताप्राप्त पषुचिकित्सा अर्हतायें रखते हों और अधिनियम के अधीन राज्य पषुचिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत हों।

34– प्रथम रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र और रजिस्ट्रीकरण फीस (धारा–45)

(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो मान्यताप्राप्त पषुचिकित्सा अर्हता रखता है और उत्तराखण्ड राज्य का निवासी है और जो राज्य पषुचिकित्सा परिषद् में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराना चाहता है, रजिस्ट्रीकरण के लिये धारा 45 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण अधिकरण को आवेदन करेगा, आवेदन पत्र रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पषुचिकित्सा परिषद् को सम्बोधित होगा और उसके साथ पच्चीस रूपये की रजिस्ट्रीकरण फीस होगी।

(2) राज्य पषुचिकित्सा रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम प्रविष्ट होने पर, रजिस्ट्रार उसे प्रपत्र दस में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

35– रजिस्ट्रीकरण के लिये नवीनीकरण फीस धारा(48)–

(1) राज्य पषुचिकित्सा रजिस्टर में नाम को बनाये रखने के लिये किसी व्यक्ति को राज्य पषुचिकित्सा परिषद् को पांच वर्ष पर पन्द्रह रूपये का रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण फीस उस वर्ष के, जिसमें उसे रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण कराना हो, पहली अप्रैल से पूर्व भुगतान करना पड़ेगा।

(2) राज्य पषुचिकित्सा रजिस्टर में फीस की पुनःस्थापना (धारा 50)

राज्य पषुचिकित्सा रजिस्टर से हटाये गये किसी व्यक्ति के नाम को पुनःस्थापित करने के लिये पन्द्रह रूपये फीस होगी।

36–राज्य पषुचिकित्सा की मुर्दित प्रति की लागत (धारा–51)–

राज्य पषुचिकित्सा रजिस्टर की मुद्रित प्रतियां दस रूपया प्रति कापी की दर प्रभार का भुगतान करने पर उपलब्ध करायी जायेगी।

37– प्रमाण–पत्रों की दूसरी प्रति का जारी किया जाना–

(1) राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा, यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति दस रूपये की फीस का भुगतान करने पर जारी की जायेगी।

(2) उक्त प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति प्रपत्र ग्याहर में होगी।

टिप्पणी– राज्य पषुचिकित्सा परिषद् को भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जा सकेगी।

प्रपत्र–एक

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिये दावा

(नियम 6 और 7 देखिये)

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद्,

देहरादून।

महोदय,

मैं एतद्द्वारा भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या–52, सन् 1984) की धारा 32 की उपधारा(1) के खण्ड(क) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के आगामी निर्वाचन के लिये नामावली में नाम सम्मिलित करने का अपना दावा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई उत्तराखण्ड राज्य पषु चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2002 के नियम 6 और 7 के अधीन प्रस्तुत करता हूॅ। सुसंगत ब्योरे नीचे दिये गये हैं।

नाम (बड़े अक्षरों में)——————————————————————

पता———————————————————————————

———————————————————————————

शैक्षिक अर्हतायें————————————————————————

पदनाम और कार्यालय का पता, यदि कोई हो——————————

———————————————————————————

दावा के लिये आधार——————————————————————

(सबूत सहित, यदि कोई हो)———————————————————

मैं घोषणा करता हूॅ कि मैं भारत का नागरिक हूॅ——————————राज्य में निवास करता/करती हूॅ और उत्तराखण्ड में पषुचिकित्सा औषधि का व्यवसाय करता/करती/नियोजित हूॅ।

स्थान—————————

दिनांक——————————

(दावेदार के हस्ताक्षर)

प्रपत्र–दो

निर्वाचक नामावली के प्रारूप में किसी प्रविष्टि पर आपत्ति

(नियम 6 और 7 देखिये)

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद्,

देहरादून।

महोदय,

मैं एतद्द्वारा भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनिमय, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन्, 1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के आगामी निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्तावित निर्वाचक नामावली के प्रारूप में निम्नलिखित प्रविष्टि पर अपनी आपत्ति उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् नियमावली, 2002 के नियम 6 और नियम 7 के अधीन प्रस्तुत करता हूॅ–

1– उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम की निर्वाचक नामावली के

प्रारूप में प्रविष्टि पर आपत्ति की गई है (बड़े अक्षरों में)

————————————————————————————

2– उस प्रविष्टि की विषिष्टियां जिस पर आपत्ति की गई हैं ——————————————

3– प्रविष्टि पर आपत्ति के आधार——————————————

स्थान——————————

दिनांक——————————

(आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर)

आपत्तिकर्ता की क्रम संख्या और उसका नाम जैसा कि

निर्वाचक नामावली के प्रारूप में है————————————

आपत्तिकर्ता का नाम————————————————————

स्थान————————————

पता————————————

————————————

————————————————————————————————

(प्रतिहस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की क्रम संख्या और नाम

जैसा कि निर्वाचक नामावली के प्रारूप में है —

————————————————————————————

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता————————————

————————————————————————————

प्रपत्र–तीन

नाम निर्देषन–पत्र

(नियम 11 देखिये)

भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984)की धारा–32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् का निर्वाचन।

1– अभ्यर्थी का नाम ————————————————————

2– पिता का नाम ————————————————————

3– आयु और जन्म तिथि––––––––––––––––––––––––

4– अर्हता की प्रकृति ––––––––––––––––––––––––

5– रजिस्ट्रीकृत संख्या (राज्य पषुचिकित्सा रजिस्टर में)––––––

6– राज्य पषुचिकित्सा रजिस्टर या उसके अनुपूरक(वर्ष उल्लिखित किया जाय)में पृष्ठ संख्या जिसमें नाम हो––––––––––––

7– नामावली में क्रम संख्या––––––––––––––––––––––

8– पता–गृह संख्या, खण्ड/गली संख्या, ग्राम/कस्बा––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

डाकघर––––––––––––––पिनकोड––––––––––––

9– प्रस्तावक का नाम ––––––––––––––––––––––––

10–प्रस्तावक का हस्ताक्षर––––––––––––––––––––––

11–राज्य पषुचिकित्सा रजिस्टर में प्रस्तावक की रजिस्ट्रीकृत संख्या और उक्त रजिस्टर या उसके अनुपूरक (वर्ष उल्लिखित किया जाय) में पृष्ठ संख्या जिसमें नाम हो––––––––––––––––––

12– नामावली में क्रम–संख्या––––––––––––––––––––

13– समर्थक का नाम ––––––––––––––––––––––––

14– समर्थक का हस्ताक्षर––––––––––––––––––––––

15– राज्य पषुचिकित्सा रजिस्टर में समर्थक की क्रम–संख्या और उक्त रजिस्टर या उसके अनुपूरक (वर्ष उल्लिखित किया जाय) में पृष्ठ सं0 जिसमें नाम हो ––––––––––––––––––––––––––––

16– नामावली में क्रम संख्या––––––––––––––––––––––

<u>अभ्यर्थी द्वारा घोषणा</u>

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस नामनिर्देषन से सहमत हूँ।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

यह नाम निर्देषन–पत्र मेरे द्वारा ––––––––––(स्थान) पर––––––––––

(दिनांक) को ––––––––––(समय) बजे प्राप्त किया गया था।

––––––––––––––

(रिटर्निंग अधिकारी का हस्ताक्षर)

अनुदेष

ऐसे नाम निर्देषन–पत्र जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक––––––––को ––––बजे के पूर्व प्राप्त न हो, अविधिमान्य समझें जायेंगे

प्रपत्र–चार

मतपत्र

(नियम 16 (2) देखिये)

मतपत्र की क्रम संख्या––––––––

भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या–52 सन् 1984) के अधीन उत्तराखण्ड पषुचिकित्सा परिषद् में सदस्य निर्वाचित किये जाने हैंः–

क्र0सं0	सम्यक रूप में नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों के नाम व पते	मत
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर/उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप		

अनुदेश

1– प्रत्येक मतदाता को उतने अभ्यर्थियों को मत देने का अधिकार होगा,जितने निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या हो।

2– वह उस/उन अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) के, जिसे (जिन्हें) बनाकर वह पसन्द करता है नाम के सामने "X" चिन्ह का मत देगा।

3– मतपत्र अविधिमान्य हो जायेगा, यदि–

(क) उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप न हो, या

(ख) मतदाता उस पर अपना हस्ताक्षर करता है या कोई शब्द लिखता है या कोई चिन्ह बनाता है, जिससे उसकी पहचान हो जाय कि वह उसका मतपत्र है, या

(ग) उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाय, या

(घ) यदि कोई चिन्ह "X" इस प्रकार लगाया जाय, जिससे कि यह सन्देह हो कि वह किस अभ्यर्थी के लिये अभिप्रेत है, या यदि उसे निर्वाचित किये जाने के लिये अपेक्षित अभ्यर्थियों की संख्या इंगित की जाय,संख्या से अधिक संख्या के नामों के सामने लगाया गया हो ।

प्रपत्र–पांच

घोषणा–पत्र

(नियम 16 (2) देखिये)

भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा 32(1) (क) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् का निर्वाचन

मतदाता के नाम––

राज्य पषुचिकित्सा रजिस्टर संख्या और इस रजिस्टर

या उसके अनुपूरक (वर्ष उल्लिखित किया जाय) में

पृष्ठ संख्या, जिसपर नाम हो––––––––––––––––––––––––––––––––

<u>मतदाता की घोषणा</u>

मैं––––––––––––––––––––––––(पूरा नाम और पदनाम, यदि कोई हो) घोषणा करता हूॅ कि मैं भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन मण्डल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् में सदस्यों के निर्वाचन के लिये मतदाता हूॅ और यह कि मैंने इस निर्वाचन में कोई अन्य मतपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

केन्द्र——————————

दिनांक——————————

————————————————

(मतदाता का हस्ताक्षर)

प्रपत्र–छः

सूचना का पत्र

(नियम 16 (2) देखिये)

श्रीमान्/श्रीमती——————————————————————

ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम संलग्न मतपत्र पर मुर्दित है, भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 298) की धारा 32 (1) (क) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट किये गये हैं यदि आप निर्वाचन में मत देने की इच्छा करते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप–

(क) घोषणा–पत्र (प्रपत्र पांच) को भरेंगें और उस पर हस्ताक्षर करेंगें।

(ख) मत–पत्र (प्रपत्र चार) में इस प्रयोजन के व्यवस्थित स्तम्भ में अपना मत चिन्हित करेगें जैसा कि मतपत्र पर निर्देषित है।

(ग) अपेक्षाकृत छोटे आवरण में मतपत्र को संलग्न करेगें और चिपका देंगें, और

(घ) अपेक्षाकृत छोटे आवरण और घोषणा–पत्र को बाहरी लिफाफे में संलग्न करेंगें जो अपेक्षाकृत बड़ा और जिसपर मेरा पता पहले से मुद्रित है और उसे मुझे डाक द्वारा अपने खर्च पर वापस करेगें या उसे मेरे कार्यालय में स्वयं देंगें जिससे वह दिनांक––––––––––को––––––––––बजे अवष्य मेरे पास पहुॅच जाय।

2– मतपत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, यदि–

(क) बाहरी लिफाफा जिसके साथ मतपत्र आवरण और घोषणा पत्र संलग्न है, डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है या मेरे कार्यालय में स्वयं नहीं दिया जाता है या मतदान समाप्त होने के लिये निर्धारित समय के पष्चात् प्राप्त होता है,या

(ख) बाहरी लिफाफे में अपेक्षाकृत छोटे आवरण के बाहर कोई घोषणा–पत्र न हो, या

(ग) मतपत्र आवरण के बाहर रखा गया हो, या

(घ) घोषणा पत्र वह न हो जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदाता को भेजा गया हो, या

(डं.) एक ही बाहरी लिफाफे में एक से अधिक घोषणा पत्र या मतपत्र संलग्न किये गये हों, या

(च) घोषणा पत्र पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो, या

(छ) मतपत्र अविधिमान्य हो।

3– कोई मतपत्र अविधिमान्य हो जायेगा, यदि–

(एक) उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप न हो, या

(दो) मतदाता मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर करता है या उस पर कोई शब्द लिखता है, या उस पर कोई ऐसा चिन्ह बनाता है, जिससे यह पहचाना जा सके कि वह उसका मतपत्र है, या

(तीन) उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाय, या

(चार) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, या

(पांच) वह प्रयोग किये गये मत की अनिष्चितता के कारण शून्य हो।

4– यदि कोई मतदाता अनजाने से कोई मतपत्र खराब करता है तो वह उसे मतदान के लिये नियत दिनांक से कम से कम 15 दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को वापस कर सकता है जो यदि ऐसे अनजानेपन से सन्तुष्ट हो जाय तो उसे एक दूसरा मतपत्र जारी करेगा।

5– मतों की संवीक्षा और गणना दिनांक––––––––––––को ––––––––––बजे से प्रारम्भ होगी।

6– रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें वह अपनी सहायता के लिये नियुक्त करे, अभ्यर्थियों या उनके सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के सिवाय, कोई व्यक्ति सवीक्षा और गणना में उपस्थित नहीं होगा।

रिटर्निंग अधिकारी

प्रपत्र–सात

उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के सदस्यों का रजिस्टर

(नियम 23 देखिये)

क्र0 सं0	सदस्यों का नाम	पता	जन्म का दिनांक	निर्वाचित हैं या नाम निर्दिष्ट	खण्ड जिसके अधीन निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया गया
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

सरकारी गजट में नाम की अधिसूचना की संख्या और उसका दिनांक	पद का कार्यकाल प्रारम्भ होने का दिनांक	पद की समाप्ति का नियत दिनांक	नियत दिनांक के पूर्व पद की समाप्ति का दिनांक और कारण यदि कोई हो	अभ्युक्ति यदि कोई हो
7	8	9	10	11

प्रपत्र–आठ

भारतीय पषुचिकित्सा अधिनियम, 1984 की धारा 44 के अधीन रखा गया उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा रजिस्टर

क0 सं0	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का पूरा नाम	जन्म का दिनांक	राष्ट्रीयता	आवासीय पता	राज्य पषुचिकित्सा परिषद् में प्रवेष का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्हता			वृत्तिक पता	स्थाई पता
अर्हता	दिनांक जब प्राप्त किया गया	अर्हता प्राप्त करने वाला प्राधिकारी महाविद्यालय या विष्वविद्यालय		
7	8	9	10	11

अन्य शैक्षिक अर्हता, यदि कोई हो			वर्तमान व्यवसाय			अभ्युक्ति
अर्हता	संस्था जिससे प्राप्त किया	वर्ष (दिनांक सहित)	सरकारी सेवा	प्राइवेट कार्य	सेवाानिवृत्त	
12	13	14	15	16	17	18

प्रपत्र–नौ

भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन "रजिस्ट्रीकृत पषुचिकित्सा व्यवसायी" के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन–पत्र

(नियम–34 देखिये)

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

उत्तराखण्ड पषुचिकित्सा परिषद्,

देहरदून।

महोदय,

मैं भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन आपके द्वारा रखे जाने वाले/रखे गये उत्तराखण्ड पषुचिकित्सा रजिस्टर में अपना नाम, पता, अर्हतायें और अन्य विषिष्टियां जैसा नीचे दिया गया है, रजिस्ट्रीकृत करने और यथावधि पर ऐसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र जारी करने के लिये आपसे अनुरोध करता हूॅ।

(2) मैं आपके सत्यापन के लिये अपनी अर्हताओं के सम्बन्ध में अपनी उपाधियां/डिप्लोमा मूल रूप में संलग्न करता हूॅ और अनुरोध करता हूॅ कि उन्हें मुझे वापस कर दिया जाय, जब उनकी आवष्यकता न हो मैं आपके अभिलेख के लिये उनकी प्रमाणित प्रतियां भी संलग्न करता हूॅ।

(3) ––––––––––––रूपये की विहित रजिस्ट्रीकरण फीस भी इसके साथ संलग्न डिमाण्ड ड्राफ्ट जिसकी संख्या––––––––––––और दिनांक––––––––––––है, के माध्यम से भेजी जाती है और उसे रेखांकित किया जाता है और आपको ––––––––––पर देय किया जाता है।

(4) मेरी ऊपर निर्दिष्ट विषिष्टियां निम्नलिखित हैं–

(क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)––––––––––––––––––––––––

(ख) जन्म का स्थान और दिनांक––––––––––––––––––––

(ग) राष्ट्रीयता––––––––––––––––––––

(घ) आवासीय पता ––––––––––––––––––––––––––––––

(ङ.) वृत्तिक पता ——————————————————————————————

(च) पषुचिकित्सा अर्हता ——————————————————————————

——

अर्हता	उत्तीण होने का विष्वविद्यालय या संस्था दिनांक और वर्ष

——

(छ) अन्य शैक्षिक अर्हतायें, यदि कोई हों——————————————————

(ज) वर्तमान व्यवसाय (क) सरकारी सेवा——————————————————

(ख) प्राइवेट कार्य ————————————————

(ग) सेवा निवृत्त व्यक्ति —————————————

(झ) कोई अन्य सुसंगत सूचना———————————————————————

5— मैं प्रतिज्ञा करता हॅू कि ऊपर दी गई समस्त विषिष्टियां सही हैं।

स्थान——————————

दिनांक————————

भवदीय,

(आवेदक का हस्ताक्षर)

प्रपत्र–दस

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

(नियम 34 (2) देखिये)

भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम सं0–52 सन् 1984) की धारा–32 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद्

संख्या–––––––––––– (मुहर) दिनांक––––––––

यह प्रमाणित किया जाता है कि डा0––––––––––––––––––––––––

निवासी ––को रजिस्ट्रीकृत पषुचिकित्सा व्यवसायी के रूप में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है और वह भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन ऐसे व्यवसायी को स्वीकृत समस्त सुविधाओं के हकदार हैं, उनकी रजिस्ट्रीकरण संख्या––––––––––––है। उक्त अधिनियम के अधिनियम के अधीन उत्तराखण्ड पषुचिकित्सा परिषद् में यह रजिस्ट्रीकरण किया गया है।

इसके साक्ष्य में इस पर उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् की मुहर लगाई जाती है और उक्त राज्य पषुचिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर किया जाता है।

(मुहर) (रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर)

(यह प्रमाण–पत्र भारतीय पषुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984(अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् की सम्पत्ति है और उत्तराखण्ड राज्य पषुचिकित्सा परिषद् नियमावली 2002 के नियम 10 (3) के अधीन ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत पषुचिकित्सा व्यवसायी को दिया जाता है।)

ैप्रपत्र–ग्यारह

रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण का द्वितीय प्रमाण–पत्र

(नियम 37 देखिये)

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा 32 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद्

(मुहर)

रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण का द्वितीय प्रमाण–पत्र इसी पैटर्न पर होगा, जैसा मूल प्रमाण–पत्र, परन्तु यह कि शब्द "द्वितीय प्रति" उक्त प्रमाण–पत्र के दाहिने कोने पर सबसे ऊपर लाल स्याही में

मुद्रित होगा।